[2020] 10 एस. सी. आर. 677

एलेम्बिक फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड।

वी.

रोहित प्रजापति और ओआरएस।

(2016 की सिविल अपील सं. 1526)

अप्रैल 1,2020

[डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़ और

अजय रस्तोगी, जे. जे.]

पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986-- s.3-1994 पर्यावरण

प्रभाव आकलन (ई. आई. ए.) अधिसूचना अनिवार्य पूर्व पर्यावरणीय

औद्योगिक इकाइयों की स्थापना और विस्तार के लिए मंजूरी (ईसी)

तीस श्रेणियों के अंतर्गत आने वाली-विभिन्न द्वारा समय सीमा बढ़ाई गई

पूर्व पोस्ट फैक्टो ईसीएस के लिए अनुमति-राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण द्वारा रद्द कर दिया गया (एनजीटी)-अपील पर, अभिनिर्धारित किया गयाः एक पूर्व पोस्ट फैक्टो ईसी की अवधारणा में है

पर्यावरण के मौलिक सिद्धांतों का अपमान

न्यायशास्त्र-यह 1994 ई. आई. ए. अधिसूचना के लिए एक अभिशाप है।

-

पूर्व कार्योत्तर मंजूरी की अनुमति देना अनिवार्य रूप से माफ कर दिया जाएगा।

ईसी के अनुदान के बिना औद्योगिक गतिविधियों का संचालन-यह

एहतियाती सिद्धांत के साथ-साथ दोनों के विपरीत होगा

सतत विकास की आवश्यकता-2002 परिपत्र ने परिवर्तन किया 1994 ई. आई. ए. अधिसूचना का अनुप्रयोग जिसमें एक वैधानिक प्रावधान है।

चरित्र-एक प्रशासनिक निर्णय होने के नाते, यह दायरे से बाहर है।

एस. 3 - इसे सुरक्षा के लिए एक उपाय नहीं कहा जा सकता है और पर्यावरण की गुणवत्ता में सुधार और एस द्वारा संरक्षित नहीं है। 3 -

एन. जी. टी. पर अपने अधिकारों की जांच करने के लिए कोई अधिकार क्षेत्र प्रतिबंध नहीं है-विचाराधीन तीन उद्योगों के मामले में, आयोग के समक्ष कोई निर्वाचन आयोग नहीं मांगा गया था।

1994 द्वारा अनिवार्य रूप से संचालन की शुरुआत या विस्तार

ई. आई. ए. अधिसूचना-उन्होंने उक्त लोगों के दांतों में काम करना जारी रखा।

अधिसूचना-इसके अलावा, इनमें से कोई भी उद्योग इसके हकदार नहीं हैं -

स्पष्टीकरण के लिए खंड 8 में निहित छूट का लाभ

1994 की अधिसूचना का नोट हालांकि, एन. जी. टी. के निर्देश ई. सी. को निरस्त करना और इकाइयों को बंद करना इसके अनुरूप नहीं है

आनुपातिकता का सिद्धांत-एनजीटी द्वारा निर्देशित राशि के अलावा प्रत्येक उद्योग को 10 करोड़ रुपये का मुआवजा जमा करना -

पर्यावरण (संरक्षण) नियम 1986-भारत का संविधान

कला. 142 .

पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986-इसके तहत नियम/विनियम

- एन. जी. टी. को निरस्त करने का अधिकार क्षेत्र-चर्चा की गई।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अपीलों को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः 1. धारा 3 (1), पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 केंद्र सरकार के लिए एक सक्षम प्रावधान है गुणवत्ता की रक्षा और सुधार के उद्देश्य से ऐसे सभी उपाय जो आवश्यक या समीचीन समझते हैं।

पर्यावरण और पर्यावरण प्रदूषण को रोकना, नियंत्रित करना और कम करना। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के प्रस्तुत करने का यह अंग इस मुद्दे के लिए महत्वपूर्ण है कि क्या एनजीटी ने अपने अधिकार क्षेत्र को पार कर लिया है क्योंकि स्टरलाइट में निर्णय में कहा गया है कि एनजीटी, अपने अपीलीय अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए, "इस अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों या विनियमों को रद्द नहीं कर सकता है"। यह प्रदर्शित करने के लिए कि एनजीटी के पास 14 मई 2002 के परिपत्र को रद्द करने का अधिकार क्षेत्र नहीं था, यह आग्रह किया गया था कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 3 के तहत अपनी शक्तियों के अनुसार एमओईएफ द्वारा परिपत्र जारी किया गया था। प्रस्तुतिकरण को स्वीकार करने में एक अंतर्निहित कठिनाई है। इस न्यायालय के समक्ष, भारत संघ ने इस मामले का अनुरोध नहीं किया है कि 14 मई 2002 का परिपत्र एक ऐसा उपाय है जिसका पता धारा 3 के प्रावधानों से लगाया जा सकता है। इसके विपरीत, अपनी दलीलों में भारत संघ ने इसे "विशुद्ध रूप से प्रशासनिक निर्णय" के रूप में माना। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 3 के प्रावधानों के संदर्भ में 14 मई 2002 के परिपत्र को बनाए रखने का कोई भी प्रयास करने की अपील में चूक महत्वपूर्ण है। केंद्र सरकार की किसी कार्रवाई को धारा 3 के लिए संदर्भित उपाय के रूप में माने जाने के लिए उसे पर्यावरण की गुणवत्ता की रक्षा और सुधार और रोकथाम के उद्देश्य से आवश्यक या समीचीन होने की वैधानिक आवश्यकता को पूरा करना चाहिए।

पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करना और कम करना "। 14 मई 2002 का परिपत्र वास्तव में इसके बिल्कुल विपरीत है। 1994 की ई. आई. ए. अधिसूचना पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 और पर्यावरण संरक्षण नियम 1986 के प्रावधानों के तहत जारी की गई है, जिसका उद्देश्य नई परियोजनाओं की स्थापना या मौजूदा परियोजना के विस्तार या आधुनिकीकरण पर प्रतिबंध और प्रतिबंध लगाना है। ये उपाय एहतियाती सिद्धांत पर आधारित हैं और इनका उद्देश्य पर्यावरण के हितों की रक्षा करना है। 14 मई 2002 के परिपत्र ने चूक करने वाली औद्योगिक इकाइयों को अनुमति दी, जिन्होंने पूर्व कार्योत्तर मंजूरी द्वारा चूक को ठीक करने के लिए ईसी के बिना गतिविधियां शुरू की थीं। एक प्रशासनिक निर्णय होने के कारण, यह धारा 3 के दायरे से बाहर है और इसे ए. एल. ई. एम. बी. आई. सी. फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के लिए एक उपाय नहीं कहा जा सकता है।

वी. रोहित प्रजापति

& ओआरएस।

गुणवत्ता की रक्षा और सुधार का उद्देश्य

पर्यावरण। 1994 की ई. आई. ए. अधिसूचना एक पूर्व आदेश को अनिवार्य करती है

पर्यावरण मंजूरी। सर्कुलर 1994 की ई. आई. ए. अधिसूचना के आवेदन में काफी संशोधन या बदलाव करता है। द. प्रशासनिक परिपत्र धारा 3 द्वारा संरक्षित उपाय नहीं है। इसलिए एन. जी. टी. पर इसकी वैधता या अधिकारिता की जांच करने के लिए कोई अधिकार क्षेत्र प्रतिबंध नहीं था। इसके अलावा, प्रशासनिक परिपत्र है

ई. आई. ए. अधिसूचना 1994 के विपरीत जिसमें एक वैधानिक प्रावधान है। चरित्र। यह परिपत्र कानून की दृष्टि से अस्थिर है। [पारस 20,21] [697

सी-एफ; 698-ए-ई; 699-सी]

तमिलनाडु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बनाम। स्टरलाइट इंडस्ट्रीज (1) लिमिटेड. [2019] 3 एससीआर 777-- संदर्भित।

2.1 एक पूर्व पोस्ट फैक्टो ईसी की अवधारणा पर्यावरण न्यायशास्त्र के मौलिक सिद्धांतों का अपमान है और

27 जनवरी 1994 की ई. आई. ए. अधिसूचना के लिए एक अभिशाप है। यह पर्यावरण के लिए हानिकारक है और अपूरणीय क्षरण का कारण बन सकता है। एक पूर्वव्यापी ईसी या एक पूर्व पोस्ट फैक्टो मंजूरी पर्यावरण न्यायशास्त्र के लिए अलग क्यों है, इसका कारण यह है कि एक ईसी जारी करने से पहले, वैधानिक अधिसूचना संभावित में एक अध्ययन के अलावा, दिमाग के सावधानीपूर्वक अनुप्रयोग की गारंटी देती है।

पर्यावरण पर प्रस्तावित गतिविधि के परिणाम। एक ईसी निर्णय लेने की प्रक्रिया के विभिन्न चरणों को पूरा करने के बाद ही इसे जारी किया जा सकता है। सार्वजनिक सुनवाई, जांच, दायरा और मूल्यांकन जैसी आवश्यकताएं निर्णय लेने की प्रक्रिया के घटक हैं जो यह सुनिश्चित करते हैं कि

निर्णय लेने की गणना में औद्योगिक गतिविधि या मौजूदा औद्योगिक गतिविधि के विस्तार के प्रभावों पर विचार किया जाता है। पूर्व कार्योत्तर मंजूरी की अनुमति देना अनिवार्य रूप से ईसी के अनुदान के बिना औद्योगिक गतिविधियों के संचालन को माफ कर देगा। ईसी के अभाव में ऐसी कोई शर्त नहीं होगी जो पर्यावरण की रक्षा करे। इसके अलावा, अगर ईसी होना था

अंततः इनकार कर दिया, अपूरणीय क्षति हुई होगी

पर्यावरण। मामले के किसी भी दृष्टिकोण में, पर्यावरण कानून एक पूर्व पोस्ट फैक्टो मंजूरी की धारणा को स्वीकार नहीं कर सकता है। यह एहतियाती सिद्धांत के साथ-साथ सतत विकास की आवश्यकता दोनों के विपरीत होगा। तीनों उद्योगों के मामले में, ईसी को लगभग एक दशक तक लागू किया गया था ई. आई. ए. अधिसूचना 1994 की शुरूआत। इस बीच, उद्योग स्थापित हो गए थे और उत्पादन शुरू हो गया था।

तीनों उद्योगों द्वारा प्रकट किए गए दस्तावेजों से पता चलता है कि 1994 की ई. आई. ए. अधिसूचना द्वारा अनिवार्य रूप से संचालन की शुरुआत या विस्तार से पहले कोई ई. सी. नहीं मांगा गया था। 1994 की ई. आई. ए. अधिसूचना की शर्तों में विस्तार की परिकल्पना की गई है या

किसी भी गतिविधि का आधुनिकीकरण (यदि प्रदूषण का भार मौजूदा से अधिक है) या अनुसूची-I में सूचीबद्ध एक नई परियोजना तब तक शुरू नहीं की जाएगी जब तक कि उसे ईसी प्रदान नहीं किया गया हो। वर्तमान मामले में, तीनों उद्योगों ने ई. आई. ए. अधिसूचना 1994 के तहत काम करना जारी रखा। [पैरा 23,25] [700-एफ-एच; 701-ए-सी; 706 जी-एच; 707-ई-एफ]

सामान्य कारण वी। भारत संघ (2017) 9 एससीसी 499:

[2017] 13 एस. सी. आर. 361 पर निर्भर था।

2.2 खंड 8 में निहित छूट लागू होने से पहले, अनुसूची-I में सूचीबद्ध परियोजनाओं के लिए सभी प्राप्त करना आवश्यक था। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से एन. ओ. सी. सहित राज्य सरकार से प्रासंगिक मंजूरी। केवल राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से एन. ओ. सी. प्राप्त करना पर्याप्त नहीं था। व्याख्यात्मक नोट में जो छूट दी गई थी, वह यह सुनिश्चित करने के लिए थी कि भूमि अधिग्रहण के बाद राज्य स्तर पर सभी आवश्यक मंजूरी प्राप्त करने वाली गतिविधियों को संरक्षित किया जाना चाहिए। वास्तव में, उनमें से कई में 27 जनवरी 1994 से पहले उत्पादन की शुरुआत भी शामिल होगी। द.

व्याख्यात्मक टिप्पणी में कहा गया है कि जहां उत्पादन अभी तक शुरू नहीं हुआ था, वहां आई. ए. ए. को सूचित करना होगा। ई. आई. ए. अधिसूचना 1994 एहतियाती सिद्धांत के कार्यान्वयन को प्रभावी बनाने में एक महत्वपूर्ण साधन है। भार परियोजना के प्रस्तावक पर पड़ता है जो पर्यावरण की स्थिति को बदलना चाहता है या पर्यावरण पर प्रभाव डालना चाहता है ताकि यह प्रदर्शित किया जा सके कि जिन शर्तों पर छूट दी गई है, उन्हें पूरा किया गया है। एक छूट को उसके स्पष्ट शब्दों के अनुसार उसके सख्त अर्थों में समझा जाना चाहिए। न्यायालय के समक्ष तीन उद्योगों में से किसी ने भी क्या था, इसकी एक विस्तृत सूची प्रस्तुत नहीं की है।

"राज्य सरकार से सुसंगत मंजूरी" जो उस समय कानून के प्रावधानों के तहत प्राप्त की जानी थी। इस पृष्ठभूमि के साथ, अब यह व्यक्तिगत रूप से मूल्यांकन किया जाएगा कि क्या विचाराधीन उद्योग व्याख्यात्मक नोट के खंड 8 द्वारा प्रदान की गई छूट के लिए योग्य हैं।

एलेम्बिक फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड। वी. रोहित प्रजापति

& ओआरएस।

एलेम्बिक फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड

(i) दर्शक प्राइवेट लिमिटेड (एपीआई-I)

अभिलेख पर प्रस्तुत सामग्री से संकेत मिलता है कि 17 जुलाई 1992 को गुजरात प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (जी. पी. सी. बी.) ने जारी किया था।

एक औद्योगिक इकाई स्थापित करने और दो औषधीय उत्पादों के निर्माण के लिए एक एन. ओ. सी.। हालाँकि, 27 जनवरी 1994 की ई. आई. ए. अधिसूचना के बाद अतिरिक्त वस्तुओं के निर्माण के लिए एन. ओ. सी. केवल 11 जून 1997 को जारी किया गया था। उपयोग की जाने वाली भाषा

कि उसके पास ई. आई. ए. अधिसूचना 1994 से पहले वायु अधिनियम, जल अधिनियम और खतरनाक अपशिष्ट नियमों के तहत आवश्यक सहमति और प्राधिकरण नहीं थे। कई सहमतियाँ और अनुमति बाद में प्राप्त की गई थी और 1994 की ई. आई. ए. अधिसूचना से पहले नहीं। तदनुसार, दर्शक प्राइवेट लिमिटेड (एपीआई-I) की विनिर्माण इकाई 1994 की ई. आई. ए. अधिसूचना के व्याख्यात्मक नोट के खंड 8 के तहत छूट के दायरे में नहीं आती है।

((ii) निरायु प्राइवेट लिमिटेड (एपीआई-II)

12 जुलाई 1984 को ए. पी. आई.-II को एक कारखाने का लाइसेंस जारी किया गया था। 24 मई 1985 को जी. पी. सी. बी. ने जल सहमति आदेश जारी किया।

जल अधिनियम। यह केवल एनेस्थेटिक ईथर के निर्माण के लिए मान्य था। जी. पी. सी. बी. ने 9 अक्टूबर 1991 को सी. आई. एम. सी. क्लोराइड और क्लोक्सासिलिन सोडियम के निर्माण के लिए साइट क्लीयरेंस सर्टिफिकेट जारी किया। एक औद्योगिक इकाई स्थापित करने और उत्पादों के निर्माण के लिए 12 मई 1993 को एक एनओसी जारी की गई थी और 4 दिसंबर 1995 को विस्तार के लिए एक एनओसी जारी की गई थी। निरायु प्राइवेट लिमिटेड (ए. पी. आई.-II) को 12 मई 1993 को जारी एन. ओ. सी. में यह भी कहा गया है कि परियोजना प्रस्तावक को उत्पादन शुरू करने से पहले बोर्ड से आवश्यक सहमति प्राप्त करनी होगी और जी. पी. सी. बी. से वायु अधिनियम, जल अधिनियम और खतरनाक अपशिष्ट नियमों के तहत प्राधिकरण। 1994 की ई. आई. ए. अधिसूचना से पहले सभी सहमति और अनुमति प्राप्त नहीं की गई थी। तदनुसार, निरायु प्राइवेट लिमिटेड (एपीआई-II) की विनिर्माण इकाई 1994 की ई. आई. ए. अधिसूचना के व्याख्यात्मक नोट के खंड 8 के तहत छूट के दायरे में नहीं आती है।

0] 10 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

यूनाइटेड फॉस्फोरस लिमिटेड

यह इंगित करने के लिए कोई सामग्री प्रस्तुत नहीं की गई है कि राज्य सरकार से एन. ओ. सी. सहित सभी प्रासंगिक मंजूरी

जी. पी. सी. बी. ई. आई. ए. अधिसूचना 1994 से पहले प्राप्त किया गया था। तदनुसार, उन्हें 1994 की ई. आई. ए. अधिसूचना के व्याख्यात्मक नोट के खंड 8 के तहत छूट का लाभ नहीं दिया जा सकता है।

यूनिक केमिकल्स लिमिटेड

प्रासंगिक अनुमतियों, सहमति और प्राधिकरणों की सूची को सूचीबद्ध करने वाली तालिका से यह स्पष्ट है कि सभी अनुमतियाँ ई. आई. ए. अधिसूचना 1994 जारी होने के बाद प्राप्त हुई थी। स्पष्ट रूप से, यूनिक केमिकल्स लिमिटेड ई. आई. ए. अधिसूचना 1994 के व्याख्यात्मक नोट के खंड 8 में निहित छूट के लाभ का हकदार नहीं है। [पारस 28-32] [708-E-F, G-H; 709-A-B, C D; 710-D, F-H; 711-A-C, D-F; 712-A-D]

2.3 उद्योगों द्वारा अभिलेख पर रखी गई सामग्री से यह स्पष्ट हो जाता है कि इसका घोर त्याग किया गया है।

प्राप्त करने के मामले में तीनों उद्योगों द्वारा जिम्मेदारी

जी. पी. सी. बी. से सहमति और प्राधिकरण। वहाँ मौजूद है

राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्रासंगिक मंजूरी और सहमति प्राप्त करने और एक

1994 की ई. आई. ए. अधिसूचना के तहत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार पर्यावरण मंजूरी। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी एक सहमति आदेश एक उद्योग को संचालित करने की अनुमति देता है। निर्धारित उत्सर्जन मानदंडों के अंतर्गत। हालांकि, सहमति आदेश सामाजिक लागत और पर्यावरण और उसके आसपास एक औद्योगिक गतिविधि शुरू करने के प्रभाव के लिए जिम्मेदार नहीं हैं। एक औद्योगिक उद्योग के पर्यावरणीय प्रभाव का समग्र विश्लेषण।

1994 की ई. आई. ए. अधिसूचना में सूचीबद्ध सभी चरणों का पालन करने के बाद ही गतिविधि का हिसाब रखा जाता है। जगह बनाने का उद्देश्य सार्वजनिक सुनवाई, जांच, दायरा और मूल्यांकन जैसी विशिष्ट आवश्यकताएं विचारशील निर्णयों को बढ़ावा देने और उनकी सुरक्षा के लिए हैं।

पर्यावरण संबंधी चिंताएँ। ईसी प्राप्त करने के लिए 1994 की ई. आई. ए. अधिसूचना में सूचीबद्ध विस्तृत प्रक्रिया किसी भी औद्योगिक गतिविधि के प्रतिकूल पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने और पर्यावरण की गुणवत्ता में सुधार करने की अनुमति देती है। विकास के प्रति पारिस्थितिक रूप से तर्कसंगत दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। एक औद्योगिक गतिविधि के सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभावों को देखते हुए, पर्यावरण अनुपालन को एलेम्बिक फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के लिए एक बाधा के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए।

वी. रोहित प्रजापति

& ओआरएस।

विकास लेकिन सतत विकास और अंतर-पीढ़ीगत समानता प्राप्त करने की दिशा में एक उपाय के रूप में। तीनों उद्योगों में से कोई भी 1994 की ई. आई. ए. अधिसूचना के व्याख्यात्मक नोट के खंड 8 में निहित छूट के लाभ का हकदार नहीं था। [पारस 33,34] [712-डी-एच; 713-ए] 2.4 एमओईएफ ने 5 नवंबर 1998 को एक परिपत्र जारी किया था जिसमें ईसी के लिए आवेदन 31 मार्च 1999 तक दायर करने की अनुमति दी गई थी।

जिसे बाद में 30 जून 2001 तक बढ़ा दिया गया था। 14 मई 2002 को, समय सीमा को 31 मार्च 2003 तक बढ़ा दिया गया था, बशर्ते कि निवेश के अनुरूप जमा किया जाए। हालाँकि 1994 की ई. आई. ए. अधिसूचना के बाद कई वर्षों तक तीनों उद्योग बिना ई. सी. के संचालित हुए, लेकिन उनमें से प्रत्येक को बाद में मौजूदा क्षमताओं के विस्तार के लिए संशोधित ई. सी. सहित ई. सी. प्राप्त हुए। ये ईसी 14 मई 2003 (एलेम्बिक फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड के मामले में), 17 जुलाई 2003 (यूनाइटेड फॉस्फोरस लिमिटेड के मामले में) और 23 दिसंबर 2002 (यूनिक केमिकल्स लिमिटेड के मामले में) से काम कर रहे हैं। इसके अलावा, तीनों इकाइयों ने बुनियादी ढांचे में निवेश किया है और

अपनी औद्योगिक इकाइयों में बड़ी संख्या में श्रमिकों को नियुक्त किया। ई. सी. को निरस्त करने और इकाइयों को बंद करने के लिए एन. जी. टी. के निर्देश इस सिद्धांत के अनुरूप नहीं हैं -

आनुपातिकता। साथ ही, न्यायालय बेखबर नहीं रह सकता है। वैध ईसी के बिना संचालित होने वाली तीनों उद्योग इकाइयों के कारण होने वाले पर्यावरणीय क्षरण के लिए। उद्योगों द्वारा उल्लंघन को कानूनी परिणामों से अछूता नहीं छोड़ा जा सकता है। तीनों उद्योगों को मुआवजे की राशि जमा करने का निर्देश दिया गया है

प्रत्येक के लिए 10 करोड़। यह राशि जी. पी. सी. बी. में जमा की जाएगी।

और औद्योगिक क्षेत्र में पर्यावरण की गुणवत्ता में सुधार के लिए बहाली और उपचारात्मक उपायों के लिए विधिवत उपयोग किया जाता है जिसमें उद्योग काम करते हैं। यह जमा राशि एनजीटी द्वारा निर्देशित राशि के अतिरिक्त होगी। एनजीटी के विवादित फैसले को इस हद तक दरकिनार कर दिया गया है कि उसने ईसी को रद्द करने और उद्योगों को बंद करने के साथ-साथ समीक्षा में आदेश का निर्देश दिया था। [अनुच्छेद 36,38 और 39] [713-जी; 714-ए; 716-सी-डी, ई-एफ, जी-एच; 717-बी-सी]

लाफार्ज उमियम माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड बनाम। भारत संघ (2011) 7 एससीसी 338: [2011] 7 एस. सी. आर. 954; इलेक्ट्रोथर्म लिमिटेड v. पटेल विपुलकुमार रामजीभाई (2016) 9 एस. सी. सी. 300-आश्रित

पर।

[202

0] 10 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

गोवा फाउंडेशन बनाम। भारत संघ (2005) 11 एससीसी 559;

टेची तागी तारा बनाम। राजेन्द्र सिंह भंडारी और अन्य। (2018) (11) एससीसी 734 [2017] 12 एससीआर 956; भारत

संचार निगम लिमिटेड बनाम। दूरसंचार नियामक प्राधिकरण

भारत (2014) 3 एस. सी. सी. 222: [2013] 12 एससीआर 999 - संदर्भित किया गया।

मामला कानून संदर्भ

[2017] 12 एससीआर 956

संदर्भित किया गया है

पै

रा 15

(2005) 11 एस. सी. सी. 559

पै

रा 15

संदर्भित किया गया है

[2011] 7 एससीआर 954

उस पर भरोसा करें

पै

रा 15

(2016) 9 एससीसी 300

उस पर भरोसा करें

पै

रा 15

[2017] 13 एससीआर 361

उस पर भरोसा करें

पै

रा 16

[2019] 3 एससीआर 777

संदर्भित किया गया है

पै

रा 18

[2013] 12 एससीआर 999

संदर्भित किया गया है

पै

रा 18

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं. 1526

2016 से।

राष्ट्रीय संविधान के 08.01.2016 दिनांकित निर्णय और आदेश से

ग्रीन ट्रिब्यूनल (पश्चिमी क्षेत्र) बेंच, पुणे ने 2015 (डब्ल्यूजेड) के आवेदन संख्या 66 (टीएचसी) में 2003 के विशेष सिविल आवेदन संख्या 17417 में कहा।

के साथ 2016
का सी. ए. सं. 3175,2016 का सी. ए. सं. 6604-6605, सी. ए. सं.

1555 2017 से।

ए. एन. एस. नाडकर्णी, ए. एस. जी., कपिल सिब्बल, हुज़ेफा अहमदी, देवांग

नानावती, सी. यू. सिंह, डॉ. अभिषेक एम. सिंघवी, पराग पी. त्रिपाठी, वरिष्ठ अधिवक्ता। , सुश्री रूबी सिंह आहूजा, सुश्री दीप्ति सरीन, सुश्री कृतिका

सचदेवा, आशुतोष पी. शुक्ला (मेसर्स के लिए। करंजावाला एंड कंपनी), संदीप नारायण, अंकित विरमानी, एम. चंद्र शेखर, जॉयती प्रकाश साहू (के लिए एम/एस। एस. नारायण एंड कंपनी), महेश अग्रवाल, ऋषि अग्रवाल, अंकुर सहगल, अनिरुद्ध भाटिया, रोहन तलवार, ई. सी. अग्रवाल, डी. एल. चिदानंद, एस. एस. रेबेलो, आरजू पॉल, नीलेश्वर पवनी, सुश्री रिया सोनी, गुरमीत सिंह मक्कर, सिद्धार्थ सीम, सत्य मित्रा, सुश्री हेतवी पटेल, ए. पी. मयी, ए. राजाराजन, संजीव कुमार। चौधरी, श्रीमती हेमंतिका वाही, सुश्री जेसल

वाही, सुश्री पूजा सिंह, सुश्री रुचि कोहली, सुश्री निधि जसवाल, सुश्री मान्या चंदोक, अजय मारवाह, अधिवक्ता। उपस्थित दलों के लिए।

एलेम्बिक फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड। वी. रोहित प्रजापति

& ओआरएस।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.

1. 8 जनवरी 2016 के एक फैसले द्वारा, पश्चिमी क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण 1 की पीठ ने कहा कि

14 मई 2002 को केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्रालय 2 कानून के विपरीत है। परिपत्र में पूर्व कार्योत्तर पर्यावरण मंजूरी देने की परिकल्पना की गई है। एनजीटी ने पर्यावरण मंजूरी को रद्द करने और वैध सहमति के बिना काम करने वाली औद्योगिक इकाइयों को बंद करने सहित कई निर्देश जारी किए। 17 मई 2016 को एनजीटी ने एक याचिका खारिज कर दी। प्रभावित औद्योगिक इकाइयों में से एक द्वारा दायर समीक्षा के लिए आवेदन। औद्योगिक इकाइयाँ और एम. ओ. ई. एफ. अपील 3 में हैं।

2. 27 की पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना

जनवरी 1994 में तीस श्रेणियों में आने वाली औद्योगिक परियोजनाओं की स्थापना और विस्तार के लिए पूर्व पर्यावरणीय मंजूरी अनिवार्य कर दी गई थी। 1994 की ई. आई. ए. अधिसूचना के तहत ई. सी. प्राप्त करने की समय सीमा विभिन्न परिपत्रों द्वारा 31 मार्च 1999 और उसके बाद 30 जून 2001 तक बढ़ा दी गई थी। 14 मई 2002 के परिपत्र द्वारा, जिसे एन. जी. टी. द्वारा रद्द कर दिया गया था, एम. ओ. ई. एफ. ने उन औद्योगिक इकाइयों के लिए 31 मार्च 2003 तक की अवधि बढ़ा दी, जो 1994 की ई. आई. ए. अधिसूचना के तहत ई. सी. प्राप्त किए बिना उत्पादन में चली गई थीं, ताकि वे पूर्व पोस्ट फैक्टो ई. सी. के लिए आवेदन कर सकें और प्राप्त कर सकें। परिपत्र ने संकेत दिया कि यह निर्णय लिया गया थाः

" ..... 31 मार्च 2003 तक की समय सीमा बढ़ाने के लिए ताकि चूक करने वाली इकाइयां पूर्व-वास्तविक पर्यावरण मंजूरी प्राप्त करने के लिए इस अंतिम और अंतिम अवसर का लाभ उठा सकें।

3. 14 मई 2002 के परिपत्र में पूर्व कार्योत्तर ई. सी. एस. के लिए अनुमति दी गई है, जो इस आधार पर एक निर्धारित निधि में श्रेणीबद्ध योगदान के अधीन है - परियोजना की निवेश लागत। पहले और दूसरे उत्तरदाताओं ने 14 मई 2002 के परिपत्र को गुजरात उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी। बाद में कार्यवाही एनजीटी को स्थानांतरित कर दी गई। एनजीटी

8 जनवरी 2016 के अपने निर्णय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया कि कानून पूर्व कार्योत्तर मंजूरी देने की अनुमति नहीं देता है और 14 मई का परिपत्र

1 " एनजीटी "

2 " एमओईएफ " 3 2016 की सिविल अपील संख्या 1526 (एलेम्बिक फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड); 2016 की सिविल अपील संख्या 3175 (यूनाइटेड फॉस्फोरस लिमिटेड); 2016 की सिविल अपील संख्या 6604-6605 (विशिष्ट रसायन); और 2016 की सिविल अपील संख्या 42756 (भारत संघ) 4 "ई. आई. ए".

2002 यह एक आंतरिक संचार था और 27 जनवरी 1994 की ई. आई. ए. अधिसूचना के प्रावधानों को ओवरराइड नहीं करता था जो पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 19866 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त वैधानिक शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किया गया था।

4. यह मानते हुए कि "पूर्व पोस्ट फैक्टो पर्यावरण मंजूरी" की अवधारणा कानून के किसी भी प्रावधान के संदर्भ में टिकाऊ नहीं थी, एनजीटी ने निम्नलिखित निर्देश जारी किए:

(i) पर्यावरण मंत्रालय, गुजरात राज्य, गुजरात प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और जिला कलेक्टरों सहित भारत संघ के अधिकारी, 1994 की ई. आई. ए. अधिसूचना द्वारा कवर की गई औद्योगिक गतिविधि के लिए सहमति नहीं देंगे, बिना अधिसूचना द्वारा अनिवार्य कदमों जैसे कि स्क्रीनिंग, स्कोपिंग, सार्वजनिक

सुनवाई और निर्णय पूरा किया जा रहा है;

((ii) छठी से नौवीं तक की औद्योगिक इकाइयों को दिए गए ईसी

उत्तरदाताओं को निरस्त कर दिया जाएगा;

(iii) सभी औद्योगिक गतिविधियाँ जो वैध ईसी और संचालन की सहमति के बिना संचालित की जा रही थीं, उन्हें बंद कर दिया जाएगा।

एक महीना;

((iv) प्रत्येक इकाई 10 लाख रुपये का मुआवजा जमा करेगी।

पर्यावरणीय क्षरण पैदा करने के लिए; और

(v) जमा की गई राशि का उपयोग धन की बहाली के लिए किया जाएगा।

गुजरात राज्य में अंकलेश्वर के औद्योगिक क्षेत्र में और उसके आसपास का वातावरण।

5. एनजीटी के समक्ष निजी उत्तरदाता जो उपरोक्त निर्देशों से प्रभावित थे, वे हैं:

(i) यूनाइटेड फॉस्फोरस लिमिटेड-छठा प्रतिवादी;
((ii) विशिष्ट रसायन-सातवाँ उत्तरदाता;

((ग) दर्शक प्राइवेट लिमिटेड-आठ प्रतिवादी; और
((iv) निरायु प्राइवेट लिमिटेड-नौवां प्रतिवादी।

निजी उत्तरदाता निर्माण में लगे हुए हैं

गुजरात राज्य में अंकलेश्वर के औद्योगिक क्षेत्र में फार्मास्यूटिकल्स और थोक दवाएं। अलेम्बिक फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड अपीलकर्ता है।

6 " पर्यावरण संरक्षण नियम "

7 " जी. पी. सी. बी. "एलेम्बिक फार्मास्यूटिकल्स

लिमिटेड। वी. रोहित प्रजापति

& ओआरएस। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

इस न्यायालय के समक्ष मुख्य अपील में। गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा स्वीकृत समामेलन की योजना के अनुसार 2002 में दर्शक प्राइवेट लिमिटेड का अपीलार्थी के साथ विलय हो गया। निरायु प्राइवेट लिमिटेड था

1 जनवरी 2008 को मंदी बिक्री के तहत अपीलार्थी द्वारा अधिग्रहित। इस कवायद के बाद, पूर्ववर्ती दर्शक प्राइवेट की विनिर्माण इकाइयाँ

लिमिटेड और निरायु प्राइवेट लिमिटेड को क्रमशः एपीआई-I और एपीआई-II के रूप में जाना जाने लगा है।

1994 की ई. आई. ए. अधिसूचना

6. ई. आई. ए. अधिसूचना पर्यावरण मंत्रालय द्वारा 27 जनवरी 1994 को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 3 (1) और धारा 3 (2) के खंड (v) के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए पर्यावरण (संरक्षण) नियम 19868 के नियम 5 (3) (डी) के साथ जारी की गई थी। ई. आई. ए. अधिसूचना में निर्धारित किया गया था किः

" ... आधिकारिक राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख और उससे पहले, इस अधिसूचना की अनुसूची I में सूचीबद्ध किसी भी गतिविधि (यदि प्रदूषण का भार मौजूदा से अधिक है) या नई परियोजना का विस्तार या आधुनिकीकरण भारत के किसी भी हिस्से में तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि इसे प्रक्रिया के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा पर्यावरण मंजूरी नहीं दी गई हो।

इसके बाद इस अधिसूचना में निर्दिष्ट किया गया है।

7. ई. आई. ए. अधिसूचना में निर्धारित किया गया है कि कोई भी व्यक्ति जो अनुसूची-I में सूचीबद्ध एक नई परियोजना, या मौजूदा उद्योग का विस्तार या आधुनिकीकरण करना चाहता है, वह सचिव, एम. ओ. ई. एफ. को एक आवेदन प्रस्तुत करेगा। अनुसूची-I की प्रविष्टि 8 में शामिल उद्योग

थोक दवाओं और फार्मास्यूटिकल्स का निर्माण। आवेदन के साथ एक परियोजना रिपोर्ट, एक ई. आई. ए. रिपोर्ट और केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर एम. ओ. ई. एफ. के माध्यम से जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार तैयार की गई एक पर्यावरण प्रबंधन योजना भी होनी थी। अधिसूचना में एक निर्धारित एजेंसी द्वारा मूल्यांकन और मूल्यांकन सहित आवेदन जमा करने पर अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। खंड 3 (ए) 'में प्रावधान किया गया है किः

" ..... परियोजना की स्थापना से संबंधित कोई भी निर्माण कार्य मुख्य रूप से या अन्यथा तब तक नहीं किया जा सकता है जब तक कि पर्यावरण और स्थल मंजूरी प्राप्त की जाती है।

8 " पर्यावरण संरक्षण नियम "9 जो (4 मई 1994 को प्रतिस्थापित किया गया था)

0] 10 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

8. 10 अप्रैल 1997 को, 1994 की ई. आई. ए. अधिसूचना में तीस श्रेणियों की गतिविधियों के लिए सार्वजनिक सुनवाई को अनिवार्य बनाकर संशोधन किया गया था।

जिसके लिए ईसी की आवश्यकता थी। 5 नवंबर 1998 को, एम. ओ. ई. एफ. ने एक परिपत्र रिकॉर्डिंग जारी की कि हालांकि 1994 की ई. आई. ए. अधिसूचना 27 जनवरी 1994 से प्रभावी थी, अधिसूचना द्वारा कवर की गई इकाइयों को पूर्व ईसी प्राप्त किए बिना स्थापित किया गया था। पर्यावरण मंत्रालय की सलाह के बावजूद जी. पी. सी. बी. ने

इकाइयों को वैध ईसी के बिना काम करने की अनुमति दी गई। इस पृष्ठभूमि में, 5 नवंबर 1998 के परिपत्र में प्रावधान किया गया था किः

" चूंकि ऐसे प्रस्तावों की संख्या बड़ी है और कई इकाइयों ने वास्तव में अज्ञानता के कारण पर्यावरण मंजूरी के लिए आवेदन नहीं किया है, इसलिए गुण-दोष के आधार पर पर्यावरण मंजूरी के लिए उनके मामले पर विचार करने का निर्णय लिया गया है। यह केवल उन प्रस्तावों पर लागू होगा जो 31 मार्च 1999 तक मंत्रालय में प्राप्त होते हैं। साथ ही राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को भी

इकाइयों को आवेदन करने के लिए आवश्यक नोटिस जारी करने की सलाह दी गई

पर्यावरण मंजूरी। उन इकाइयों के मामले में जिन्होंने पहले ही उत्पादन शुरू कर दिया है, हम गुण-दोष के आधार पर प्रस्तावों पर विचार कर सकते हैं और यदि आवश्यक हो तो अतिरिक्त शमनकारी उपायों का सुझाव दे सकते हैं। इन मामलों में मंजूरी के बाद एक औपचारिक पर्यावरण मंजूरी जारी की जाएगी। सक्षम प्राधिकारी
द्वारा "।

9. 27 दिसंबर 2000 के एक परिपत्र द्वारा, एमओईएफ ने सभी राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को सभी चूक करने वाली इकाइयों को नए नोटिस जारी करने का निर्देश दिया और ईसी प्राप्त करने की समय सीमा 31 मार्च 1999 से बढ़ाकर 30 जून 2001 कर दी। इसके बावजूद, ऐसी अपराधी इकाइयाँ थीं जो या तो निर्वाचन आयोग के लिए आवेदन करने में विफल रही थीं या विस्तारित तिथि से पहले सार्वजनिक सुनवाई की आवश्यकता को पूरा करने में विफल रही थीं। 14 मई 2002 के परिपत्र द्वारा, समय सीमा को 31 मार्च 2003 तक बढ़ा दिया गया था। परिपत्र में कहा गया है किः

" पूर्वगामी को ध्यान में रखते हुए, इसे बढ़ाने का निर्णय लिया गया है

31 मार्च 2003 तक की समय सीमा ताकि चूक करने वाली इकाइयां पूर्व-कार्योत्तर प्राप्त करने के इस अंतिम और अंतिम अवसर का लाभ उठा सकें

पर्यावरण मंजूरी। यह उन सभी इकाइयों पर लागू होगा, जिन्होंने ई. आई. ए. अधिसूचना का उल्लंघन करते हुए पूर्व पर्यावरणीय मंजूरी प्राप्त किए बिना निर्माण गतिविधियों/संचालन शुरू कर दिया था।

27 जनवरी 1994 को। "

10. परिपत्र के संदर्भ में, विस्तार की मांग करने वाली चूक करने वाली इकाइयों को "पर्यावरण-विकास" के लिए एक अलग निधि निर्धारित करनी थी।

भारतीय परियोजनाओं में सामुदायिक विकास उपायों सहित एलिम्बिक फार्मास्यूटिकल्स

लिमिटेड। वी. रोहित प्रजापति

& ओआरएस। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

परियोजना में निवेश से जुड़े श्रेणीबद्ध पैमाने पर क्षेत्र। इसे एक सारणीबद्ध रूप में दर्शाया गया था जो इस प्रकार हैः

ए.

निवेश वाली परियोजनाएं

1 % एक के साथ परियोजना की लागत

* 100 करोड़

न्यूनतम 50,000

0.5 % परियोजना लागत विषय

बी निवेश वाली परियोजनाएं

₹100 करोड़ से अधिक और न्यूनतम ₹1 करोड़ तक और

अधिकतम 2.50 करोड़

* 1,000 करोड़

0.25 % परियोजना की लागत

एस.

निवेश वाली परियोजनाएं

अधिकतम के अधीन

1000 करोड़ से अधिक

* 5 करोड़

विस्तारित समय सीमा का पालन करने में विफल रहने वाली इकाइयों को

इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए।

14 मई के पूर्व कार्योत्तर परिपत्र को चुनौती

2002

11. संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत एक याचिका दायर की गई थी।

14 मई 2002 के परिपत्र को चुनौती देने वाली और विचाराधीन औद्योगिक इकाइयों को दी गई मंजूरी को रद्द करने की मांग करने वाली गुजरात उच्च न्यायालय के समक्ष वर्तमान प्रमुख अपील में पहले और दूसरे उत्तरदाताओं द्वारा। 21 अप्रैल 2015 को गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा इस मामले को एनजीटी की पश्चिमी क्षेत्रीय पीठ को स्थानांतरित कर दिया गया था। एनजीटी ने 8 जनवरी 2016 के अपने फैसले में 14 मई 2002 के परिपत्र को दरकिनार कर दिया और परिणामी निर्देश जारी किए जिन्हें इस फैसले के पहले भाग में नोट किया गया है। एनजीटी के समक्ष सातवें प्रतिवादी, यूनिक केमिकल्स लिमिटेड ने एनजीटी के फैसले के खिलाफ समीक्षा याचिका दायर की, जिसे खारिज कर दिया गया। प्रभावित उद्योग

इकाइयाँ और एम. ओ. ई. एफ. इस न्यायालय के समक्ष अपील में हैं।

12. निर्णय लेने वाला मुद्दा यह है कि क्या इसे ध्यान में रखते हुए

1994 की ई. आई. ए. अधिसूचना के तहत एक पूर्व ई. सी. की आवश्यकता, औद्योगिक इकाइयों के लिए एक पूर्व पोस्ट फैक्टो ई. सी. के लिए एक प्रावधान 14 मई 2002 के परिपत्र के माध्यम से वैध रूप से किया जा सकता है।

13. प्रस्तुतियों के दौरान श्री कपिल सिब्बल को पता चला कि

एलेम्बिक फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड की ओर से पेश वरिष्ठ वकील ने निम्नलिखित प्रस्तुतियों का आग्रह किया है:

(i) मुद्दा अकादमिक है क्योंकि अपीलार्थी की दोनों इकाइयों के पास है

बाद में बहुत अधिक विस्तार के लिए एक ईसी प्रदान किया गया था

सार्वजनिक सुनवाई आयोजित करने के बाद क्षमता और [2020] 10 एस. सी. आर.

सभी भौतिक कारकों पर विचार करना। प्रस्तुतिकरण के समर्थन में प्रासंगिक विवरण इस प्रकार हैंः दर्शक प्राइवेट लिमिटेड (एपीआई-I)

(क) 14 मई 2003 को 15 एम. टी. की क्षमता के लिए एक ई. सी. दिया गया था।

प्रति माह;

(ख) क्षमता विस्तार के लिए 16 अप्रैल 2008 को एक ई. सी. प्रदान किया गया था।

15 एम. टी. प्रति माह से 25 एम. टी. प्रति माह; और

(ग) 31 जनवरी 2017 को आगे के लिए एक ई. सी. दिया गया था।

क्षमता को 25 एम. टी. प्रति माह से बढ़ाकर 75 एम. टी. प्रति माह करना।

निरायु प्राइवेट लिमिटेड (एपीआई-II)

(अ)

14 मई 2003 को क्षमता के लिए एक ईसी प्रदान किया गया था

47 एम. टी. प्रति माह; और

(ख)

20 दिसंबर 2016 को एक ईसी प्रदान किया गया था

300 एम. टी. प्रति माह की क्षमता का विस्तार।

(ii) 1994 की ई. आई. ए. अधिसूचना में "पूर्व" शब्द को हटा दिया गया है।

यह 14 सितंबर 2006 की ई. आई. ए. अधिसूचना के विपरीत है जो "पूर्व" ई. सी. की आवश्यकता को निर्धारित करती है। जबकि 14 तारीख की अधिसूचना के तहत एक पूर्व ईसी अनिवार्य है।

सितंबर 2006 में, यह पहले की अधिसूचना के तहत नहीं था।

27 जनवरी 1994;

(iii) एक बार जब एक पूर्व सार्वजनिक सुनवाई आयोजित करने के बाद एक ईसी को बहुत बड़ी क्षमता के लिए मंजूरी दे दी जाती है, तो यह सवाल कि क्या कम क्षमता के लिए पहला ईसी वैध था, इसका कोई महत्व नहीं है। चूँकि दोनों इकाइयों में बड़ी क्षमता के लिए एक ईसी है, इसलिए कम क्षमता के लिए ईसी देने की संतुष्टि को शामिल किया जाएगा। ((iv) 1994 की ई. आई. ए. अधिसूचना दो इकाइयों पर लागू नहीं होती थी।

अपीलार्थी (एपीआई-I और एपीआई-II)। का खंड 8 1994 की ई. आई. ए. अधिसूचना के लिए व्याख्यात्मक नोट प्रदान करता है कि

जहाँ जी. पी. सी. बी. से 0 का अनापत्ति प्रमाणपत्र दिया गया है।

27 जनवरी 1994 से पहले प्राप्त, एक ईसी की आवश्यकता नहीं है। में।

इस संदर्भ में यह प्रस्तुत किया गया है कि:

ओसी "आईसी फार्मास्यूटिकल्स

लिमिटेड। वी. रोहित प्रजापति

ओआरएस। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

29 मई 1997 और 27 जुलाई 1998 को जी. पी. सी. बी. ने एक वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम 1981 के तहत संचालन के लिए प्राधिकरण 1 से एपीआई-I तक;

11 अक्टूबर 1999 को, जी. पी. सी. बी. ने ए. पी. आई.-I को जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम 1974 के तहत काम करने का अधिकार दिया। 24 मई 1985 को जी. पी. सी. बी. ने ए. पी. आई.-II को जल अधिनियम के तहत एक सहमति आदेश दिया।

12 मई 1993 को जी. पी. सी. बी. ने ए. पी. आई.-II को दवाओं की स्थापना और निर्माण के लिए एन. ओ. सी. प्रदान किया। 23 सितंबर 1993 और 13 नवंबर 1999 को जी. पी. सी. बी. ने ए. पी. आई.-II को जल अधिनियम के तहत सहमति प्रदान की।

14 दिसंबर 2001 को जी. पी. सी. बी. ने ए. पी. आई.-II को खतरनाक अपशिष्ट (प्रबंधन और हैंडलिंग) नियम 1989 के तहत काम करने का अधिकार दिया।

1 सितंबर 1999,14 दिसंबर 2001 और 7 मार्च 2008 को जी. पी. सी. बी. ने एक समेकित सहमति और प्राधिकरण प्रदान किया।

1994 की ई. आई. ए. अधिसूचना के तहत सार्वजनिक सुनवाई अनिवार्य नहीं थी। व्याख्यात्मक टिप्पणी का खंड 4 उन परियोजनाओं के मामले में सुनवाई बुलाने का विवेकाधिकार प्रदान करता है जो बड़े पैमाने पर विस्थापन या गंभीर पर्यावरणीय प्रभाव पैदा कर सकती हैं;

यदि एन. जी. टी. का आदेश कायम रहता है, तो अपीलार्थी पूर्वाग्रह से ग्रस्त होगा और उसे अपूरणीय क्षति उठानी पड़ेगी। अपीलार्थी ने 293 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश किया है और 1000 से अधिक श्रमिकों का श्रम बल; और

सीटी "

नब्बे अलग-अलग संस्थाएं जिन्हें समान रूप से प्रदान किया गया था मंजूरी। कुछ चुनिंदा इकाइयों का यह चेरी पिकिंग

कार्यवाही की दुर्भावनापूर्ण प्रकृति को दर्शाता है।

यूनाइटेड फॉस्फोरस लिमिटेड की ओर से श्री सी. यू. सिंह ने अपनी दलीलों के दौरान निम्नलिखित दलीलें प्रस्तुत कीं:

5 नवंबर 1998 का परिपत्र, जिसके द्वारा समय सीमा निर्धारित की गई थी

1994 की ई. आई. ए. अधिसूचना के तहत ई. सी. प्राप्त करने के लिए

30 जून 2001 तक बढ़ाए जाने को चुनौती नहीं दी गई थी। 5 नवंबर 1998 के परिपत्र में विशेष रूप से उल्लेख किया गया है कि राज्य

पर्यावरण मंत्रालय की सलाह के बावजूद प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने

इकाइयों को वैध ईसी के बिना काम करने की अनुमति दी गई; यूनाइटेड फॉस्फोरस लिमिटेड के पास सभी आवश्यक ईसी थे जो जीपीसीबी द्वारा मौजूदा और विस्तारित क्षमता के लिए दिए गए थे। इस संदर्भ में यह प्रस्तुत किया गया है:

(क) 17 जुलाई 2003 को फोरेट और टेरबुफोज (300 एम. टी. प्रति माह संयुक्त) के निर्माण के लिए एक ई. सी. प्रदान किया गया था।

और एसेफेट (80 एम. टी. प्रति माह);

(ख) विस्तार के लिए 15 अप्रैल 2008 को एक ई. सी. दिया गया था।

टेरबुफोज को 300 एम. टी. प्रति माह से बढ़ाकर 500 एम. टी. प्रति माह कर दिया गया और एसेफेट का उत्पादन बढ़ा दिया गया। प्रति माह 1000 एम. टी. तक बढ़ाया गया;

(ग) वृद्धि के लिए 10 जनवरी 2020 को एक ईसी प्रदान किया गया था।

प्रति माह 9546 एम. टी. की क्षमता;

शिकायतकर्ता, प्रमुख अपील में पहला प्रतिवादी, 17 जुलाई 2003 को निर्वाचन आयोग के अनुदान से पहले 16 जनवरी 2002 को आयोजित सार्वजनिक सुनवाई में भाग लिया और कोई आपत्ति नहीं जताई;

यदि एन. जी. टी. का आदेश प्रबल होता है, तो अपीलार्थी होगा

पूर्वाग्रह से ग्रस्त और एक अपूरणीय क्षति का सामना करना पड़ता है। अपीलार्थी ने लगभग 400 स्थायी और अनुबंध श्रमिकों को नियुक्त किया है।

अपनी विनिर्माण इकाई में; और एम्बीक फार्मास्यूटिकल्स

लिमिटेड। वी. रोहित प्रजापति

& ओआरएस। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

(v) पहले और दूसरे उत्तरदाताओं द्वारा चुनौती ई. आई. ए. अधिसूचना 1994 को दी गई थी जो विनिर्माण पर लागू नहीं होती थी।

अपीलार्थी की इकाई। प्रासंगिक समय पर, अपीलार्थी को ई. सी. प्राप्त करने से छूट दी गई थी क्योंकि इसमें सभी आवश्यकताएँ थीं। अनुमतियाँ।
इस संदर्भ में यह प्रस्तुत किया गया है:

(क) 3 अक्टूबर 1992 को जी. पी. सी. बी. ने एक विनिर्माण इकाई स्थापित करने के लिए अपीलार्थी को एन. ओ. सी. प्रदान किया।

(ख) 17 नवंबर 1995 और 2 अप्रैल 1996 को जी. पी. सी. बी. ने विस्तार और अतिरिक्त विनिर्माण के लिए एन. ओ. सी. प्रदान किए।

उत्पादों;

(ग) 27 अगस्त 2009 को जी. पी. सी. बी. ने अपीलार्थी को एक समेकित सहमति और प्राधिकरण प्रदान किया।

विनिर्माण इकाई;

(घ) 25 जुलाई 2012 को, जी. पी. सी. बी. ने अपीलार्थी की विनिर्माण इकाई के विस्तार के लिए एक एन. ओ. सी. जारी किया; और

(ङ) 11 मई 2015 और 27 मई 2017 को, जी. पी. सी. बी. ने विस्तार के लिए एक समेकित सहमति और प्राधिकरण प्रदान किया।

संचालन।

15. यूनिक केमिकल्स लिमिटेड की ओर से वरिष्ठ वकील डॉ. अभिषेक सिंघवी ने निम्नलिखित प्रस्तुतियों का आग्रह किया:

(i) एनजीटी के पास याचिका पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र नहीं था।

टेची तागी तारा बनाम राजेंद्र सिंह भंडारी मामले में इस अदालत के फैसले को देखते हुए पहले और दूसरे उत्तरदाताओं द्वारा दायर किया गया

& ओआरएस 1 4;

(ii) 2007 में दिए गए ई. सी. ने 2007 में दिए गए पहले के ई. सी. को हटा दिया।

2002 .

इसलिए, पहले के ई. सी. की वैधता का सवाल ही नहीं उठता है। इस संदर्भ में यह प्रस्तुत किया गया हैः (क) एक ई. सी. 23 दिसंबर 2002 को क्षमता के लिए प्रदान किया गया था

78.02 थोक दवाओं के निर्माण के लिए प्रति माह एम. टी.

और मध्यवर्ती;

(ख) 8 अगस्त 2007 को विनिर्माण क्षमता को 78.02 एमटी प्रति माह से 116.12 एमटी प्रति माह बढ़ाने के लिए एक ईसी प्रदान किया गया था; और

(ग) वृद्धि के लिए 30 जून 2018 को एक ईसी प्रदान किया गया था।

उत्पादन क्षमता 290 एम. टी. प्रति माह। 10 अप्रैल 2019 को, उपरोक्त ई. सी. में संशोधन किया गया था, जिससे ई. सी. द्वारा निर्मित किए जाने वाले उत्पादों की संख्या में वृद्धि की अनुमति दी गई। अपीलार्थी।

(iii) अपीलार्थी को दी गई कार्योत्तर मंजूरी को गोवा फाउंडेशन बनाम भारत संघ मामले में इस न्यायालय के फैसले के संदर्भ में एनजीटी के आदेश द्वारा दरकिनार नहीं किया जा सकता है, जहां 14 मई 2002 के परिपत्र के संदर्भ में 95 औद्योगिक परियोजनाओं को कार्योत्तर मंजूरी दी गई थी। तदनुसार, नहीं

विनिर्माण इकाइयों को बंद करने का सवाल

अपीलकर्ता उत्पन्न हो सकते हैं;

(iv) 1994 की ई. आई. ए. अधिसूचना में 1997 में एक संशोधन द्वारा पूर्व पोस्ट फैक्टो सार्वजनिक सुनवाई की आवश्यकता को पेश किया गया था। लाफार्ज उमियम माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड बनाम भारत संघ के मामले में इस न्यायालय द्वारा पूर्व कार्योत्तर सार्वजनिक सुनवाई की वैधता को बरकरार रखा गया है।

(v) विभिन्न मामलों में जहां कानून का उल्लंघन हुआ है, इस अदालत ने महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखते हुए बंद करने का आदेश नहीं दिया है।

उद्योग द्वारा किया गया निवेश और विस्तार। इलेक्ट्रोथर्म लिमिटेड बनाम पटेल 1 7 में, इस न्यायालय ने संयंत्र को बंद करने का आदेश नहीं दिया क्योंकि एक महत्वपूर्ण विस्तार पहले ही हो चुका था और उद्योग काम कर रहा था;

(vi) यदि एन. जी. टी. का आदेश कायम रहता है, तो अपीलार्थी पूर्वाग्रह से ग्रस्त होगा और उसे अपूरणीय क्षति होगी। अपीलार्थी ने अपने विनिर्माण में लगभग 400 कर्मचारियों को नियुक्त किया है।

इकाई;

(vii) ई. आई. ए. अधिसूचना 1994 अपीलार्थी की विनिर्माण इकाई पर लागू नहीं होती थी। अपीलार्थी की विनिर्माण इकाई को ईसी प्राप्त करने से छूट दी गई थी क्योंकि उसके पास सभी आवश्यक अनुमतियाँ थीं। इस संदर्भ में यह प्रस्तुत किया गया हैः

(क) 30 सितंबर 1995 को जी. पी. सी. बी. ने एक 'हवाई सहमति आदेश' जारी किया।

वायु अधिनियम के तहत;

5) 11 एस. सी. सी. 559 1) 7 एस. सी. सी. 338 6) 9 एस. सी. सी. 300 आई. सी. औषधीय

लिमिटेड। वी. रोहित प्रजापति

ओआरएस। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़,

जे.]

9 जनवरी 1996 को जी. पी. सी. बी. ने खतरनाक अपशिष्ट नियमों के तहत एक प्राधिकरण जारी किया। 16 अप्रैल 1996 को जी. पी. सी. बी. ने एक 'जल सहमति आदेश' जारी किया।

जल अधिनियम;

15 अप्रैल 2009 को जी. पी. सी. बी. ने अपीलार्थी की विनिर्माण इकाई को एक समेकित सहमति और प्राधिकरण प्रदान किया।

अपीलार्थी को दी गई समेकित सहमति और प्राधिकरण 13 अप्रैल 2009 को;

30 मई 2011 को जी. पी. सी. बी. ने गैस स्थापित करने के लिए सहमति दी।

400 किलोवाट की क्षमता वाला बिजली उत्पादन संयंत्र

अपीलार्थी की विनिर्माण इकाई में; 2 नवंबर 2013 को जी. पी. सी. बी. ने जी. पी. सी. बी. की विनिर्माण इकाई को एक नई समेकित सहमति और प्राधिकरण प्रदान किया।

अपीलार्थी; और

25 जनवरी 2019 और 25 अक्टूबर 2019 को जी. पी. सी. बी. ने एक नई और संशोधित समेकित सहमति और प्राधिकरण प्रदान किया।

क्रमशः अपीलार्थी की विनिर्माण इकाई में विनिर्मित किए जाने की अनुमति प्राप्त उत्पादों की संख्या में वृद्धि के लिए।

पहले और दूसरे उत्तरदाताओं की ओर से पेश हुए श्री सिद्धार्थ के वकील ने इससे पहले निम्नलिखित प्रस्तुतियों का आग्रह किया है।14 मई 2002 का परिपत्र पर्यावरणीय कारणों से अवैध है।

न्यायशास्त्र पूर्व कार्योत्तर की किसी भी अवधारणा को मान्यता नहीं देता है।

मंजूरी। कोई भी पूर्व कार्योत्तर अनुमोदन अमान्य है और लाभ इस तरह के उद्योग को परिपत्र नहीं दिया जा सकता है। इसमें

इस संबंध में, इस न्यायालय के निर्णय पर निर्भरता रखी गई थी

सामान्य कारण बनाम भारत संघ 1 8.

"

14 मई 2002 के परिपत्र में इसके स्रोत का उल्लेख नहीं है।

या कानून का अधिकार। परिपत्र के स्रोत का पता नहीं चल पाया है

पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 3 के लिए क्योंकि

परिपत्र की गुणवत्ता की रक्षा या सुधार नहीं करता है पर्यावरण। परिपत्र चूककर्ताओं को पूर्व पद प्राप्त करने की अनुमति देता है

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

वास्तविक मंजूरी और अनुपालन को प्रोत्साहित नहीं करता है

कानून;

(iii) केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा व्यापक पर्यावरण प्रदूषण सूचकांक रिपोर्ट इंगित करती है कि औद्योगिक क्षेत्र में और उसके आसपास हवा, पानी और मिट्टी के मापदंड

गुजरात राज्य में अंकलेश्वर, जहाँ तीन औद्योगिक इकाइयाँ स्थित हैं, भारत में सबसे महत्वपूर्ण इकाइयों में से हैंः और

(iv) भले ही इस अदालत को यह अभिनिर्धारित करना था कि उद्योगों को बंद करने का आदेश नहीं दिया जाना चाहिए, पर्यावरण की बहाली के लिए उनके द्वारा मुआवजे का भुगतान करने का निर्देश दिया जाना चाहिए। ये

उद्योगों ने वर्षों से बिना काम किए काम किया है।

पर्यावरण मंजूरी।

17. प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियाँ हमारे विचार के लिए आती हैं।

18. हम सबसे पहले पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत बनाए गए नियमों या विनियमों को निरस्त करने के लिए एनजीटी के अधिकार क्षेत्र को चुनौती देते हैं। तमिलनाडु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बनाम स्टरलाइट

इंडस्ट्रीज (1) लिमिटेड ("स्टरलाइट") इस न्यायालय ने राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 201020 के तहत एनजीटी को सौंपे गए न्यायिक कार्यों का विश्लेषण किया। न्यायमूर्ति आर. एफ. नरीमन ने दो न्यायाधीशों की पीठ की ओर से बोलते हुए कहा कि धारा 16 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए, एनजीटी पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत बनाए गए नियमों या विनियमों को रद्द नहीं कर सकता है। इस निष्कर्ष पर पहुँचते हुए, न्यायालय ने भारत संचार निगम लिमिटेड बनाम दूरसंचार मामले में निर्णय पर भरोसा किया

भारतीय विनियामक प्राधिकरण 2 1, जहाँ भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम 2 2 1997 की धारा 14 में निहित अपीलीय शक्ति की व्याख्या की गई थी। इस निर्णय को स्वीकार करने के बाद, न्यायमूर्ति आर. एफ. नरीमन ने निष्कर्ष निकाला किः

" 53 ..... एनजीटी के पास न्यायिक समीक्षा की कोई सामान्य शक्ति नहीं है जो इस देश के उच्च न्यायालयों के पास भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत निहित है।

19. उपरोक्त निर्णय पर भरोसा करते हुए श्री ए. एन. एस.

नाडकर्णी, विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने यह प्रदर्शित करने का प्रयास किया कि 14 मई 2002 को परिपत्र जारी करने की शक्ति

19 19 2019 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 221/सिविल अपील संख्या 2013 का 4763-4764 20 "एन. जी. टी. अधिनियम"

21 (2014) 3 एससीसी 222

22 “ ट्राई अधिनियम "

एलेम्बिक औषधीय

लिमिटेड। वी. रोहित प्रजापति

& ओआरएस। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

पूर्व कार्योत्तर लाभ उठाने के लिए चूक करने वाली इकाइयों के लिए समय सीमा बढ़ाई गई

30 मार्च 2003 तक की मंजूरी का पता पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 3 से लगाया जा सकता है। धारा 3, प्रासंगिक सीमा तक, इस प्रकार प्रदान करती हैः

" खंड 3. उपाय करने के लिए केंद्र सरकार की शक्ति पर्यावरण की रक्षा करें और उसमें सुधार करें। - (1) प्रावधानों के अधीन

केंद्र सरकार के पास इस अधिनियम को लागू करने की शक्ति होगी।

ऐसे सभी उपाय जो इसके लिए आवश्यक या समीचीन हों

पर्यावरण की गुणवत्ता की रक्षा और सुधार का उद्देश्य

और पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करने और कम करने के लिए "।

20. धारा 3 (1) केंद्र के लिए एक सक्षम प्रावधान है।

सरकार ऐसे सभी उपाय करेगी जो उसे आवश्यक लगे या

पर्यावरण की गुणवत्ता की रक्षा और सुधार करने और पर्यावरण प्रदूषण को रोकने, नियंत्रित करने और कम करने के उद्देश्य से समीचीन। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के प्रस्तुत करने का यह अंग इस मुद्दे के लिए महत्वपूर्ण है कि क्या एनजीटी ने अपने अधिकार क्षेत्र को पार कर लिया है क्योंकि स्टरलाइट में निर्णय में कहा गया है कि एनजीटी ने अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए

अपीलीय क्षेत्राधिकार, "इस अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों या विनियमों को निरस्त नहीं कर सकता है"। वर्तमान मामले में, यह प्रदर्शित करने के लिए कि एनजीटी के पास 14 मई 2002 के परिपत्र को रद्द करने का अधिकार क्षेत्र नहीं है, यह आग्रह किया गया था कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 3 के तहत अपनी शक्तियों के अनुसार पर्यावरण मंत्रालय द्वारा परिपत्र जारी किया गया था। प्रस्तुतिकरण को स्वीकार करने में एक अंतर्निहित कठिनाई है। इस न्यायालय के समक्ष, भारत संघ ने इस मामले का अनुरोध नहीं किया है कि 14 मई 2002 का परिपत्र एक ऐसा उपाय है जिसका पता धारा 3 के प्रावधानों से लगाया जा सकता है। इसके विपरीत, अपनी दलीलों में भारत संघ ने इसे "विशुद्ध रूप से प्रशासनिक निर्णय" के रूप में माना। अपील ज्ञापन के पैराग्राफ 3 में आधार (iii) केंद्र सरकार की स्थिति बताता हैः

ई. आई. ए., अधिसूचना 1994 पूर्व-कार्योत्तर तलाश करने का अवसर पृष्ठभूमि में उद्योगों को पर्यावरण मंजूरी दी गई थी

आजीविका के प्रत्यक्ष नुकसान के संदर्भ में दूरगामी प्रभाव

इकाइयाँ और उनका अप्रत्यक्ष रोजगार। इसे प्रस्तुत किया गया था गुजरात के माननीय उच्च न्यायालय ने परिपत्र जारी किया

दिनांक 14/05/2002, जिसके आधार पर पर्यावरण मंजूरी दिया गया था, विशुद्ध रूप से पहले एक प्रशासनिक निर्णय था स्ट्रिंग एनटैक्शन लेना "।

(जोर दिया गया)

0] 10 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

21. धारा के प्रावधानों के संदर्भ में 14 मई 2002 के परिपत्र को बनाए रखने का कोई भी प्रयास करने के लिए अपील में चूक

3 पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 महत्वपूर्ण है। केंद्र सरकार की किसी कार्रवाई को धारा 3 के लिए संदर्भित उपाय के रूप में माने जाने के लिए उसे पर्यावरण की गुणवत्ता की रक्षा और सुधार के उद्देश्य से आवश्यक या समीचीन होने की वैधानिक आवश्यकता को पूरा करना चाहिए।

और पर्यावरण प्रदूषण को रोकना, नियंत्रित करना और कम करना "। 14 मई 2002 का परिपत्र वास्तव में इसके बिल्कुल विपरीत है। यह माना जाता है

औद्योगिक इकाइयों को ईसी की आवश्यकता का पालन करने के लिए समय बढ़ाने की अनुमति देना। 27 जनवरी 1994 की ई. आई. ए. अधिसूचना ने अनिवार्य किया कि किसी नई परियोजना को शुरू करने या किसी मौजूदा परियोजना का विस्तार या आधुनिकीकरण करने से पहले एक ई. सी. प्राप्त करना होगा। ईआईए अधिसूचना

1994 का अधिनियम पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 और पर्यावरण संरक्षण नियम 1986 के प्रावधानों के तहत जारी किया गया है, जिसका उद्देश्य नई परियोजनाओं की स्थापना या मौजूदा परियोजना के विस्तार या आधुनिकीकरण पर प्रतिबंध और प्रतिबंध लगाना है। ये उपाय एहतियाती सिद्धांत पर आधारित हैं और इनका उद्देश्य पर्यावरण के हितों की रक्षा करना है। 14 मई 2002 के परिपत्र ने चूक करने वाली औद्योगिक इकाइयों को अनुमति दी, जिन्होंने पूर्व कार्योत्तर मंजूरी द्वारा चूक को ठीक करने के लिए ईसी के बिना गतिविधियां शुरू की थीं। एक प्रशासनिक निर्णय होने के नाते, यह धारा 3 के दायरे से बाहर है और इसे पर्यावरण की गुणवत्ता की रक्षा और सुधार के उद्देश्य से एक उपाय नहीं कहा जा सकता है। परिपत्र में कहा गया है कि चूक करने वाली इकाइयाँ थीं जो विफल रही थीं

अनिवार्य रूप से ईसी प्राप्त करने की आवश्यकता का पालन करना। सर्कुलर में समय बढ़ाने का प्रावधान किया गया था और एक एक्सपॉस्ट फैक्टो क्लीयरेंस की धारणा को अस्पष्ट रूप से पेश किया गया था। वास्तव में, इसने औद्योगिक इकाइयों के कानून का पालन करने के दायित्व को प्रभावित किया। पूर्व पद की अवधारणा

वास्तविक मंजूरी मूल रूप से 27 जनवरी 1994 की ई. आई. ए. अधिसूचना के विपरीत है। 1994 की ई. आई. ए. अधिसूचना में एक शर्त थी कि अनुसूची-I में सूचीबद्ध किसी गतिविधि का कोई विस्तार या आधुनिकीकरण या नई परियोजना की स्थापना भारत के किसी भी हिस्से में तब तक नहीं की जाएगी जब तक कि उसे पर्यावरण मंजूरी नहीं दी गई हो। भाषा की

अधिसूचना उतनी ही स्पष्ट है जितनी यह इंगित करने के लिए हो सकती है कि आवश्यकता एक पूर्व ईसी की है। एक अनिवार्य प्रावधान के पूर्ण अनुपालन की आवश्यकता होती है। "नहीं लिया जाएगा" शब्दों को इसके साथ पढ़ा जाता है अभिव्यक्ति "जब तक" का केवल एक ही अर्थ हो सकता हैः किसी नई परियोजना को शुरू करने या किसी मौजूदा परियोजना का विस्तार या आधुनिकीकरण करने से पहले, एक ईसी प्राप्त किया जाना चाहिए। जब 1994 की ई. आई. ए. अधिसूचना एक पूर्व ई. सी. को अनिवार्य करती है, तो यह एक पोस्ट गतिविधि अनुमोदन या एक पूर्व पोस्ट फैक्टो अनुमति को प्रतिबंधित करती है।

कौन से एलम्बिक फार्मास्यूटिकल्स

लिमिटेड। वी. रोहित प्रजापति

& ओआरएस। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

14 मई 2002 के प्रशासनिक परिपत्र द्वारा प्राप्त किया जाना 27 जनवरी 1994 की वैधानिक अधिसूचना के विपरीत है। 14 मई 2002 के परिपत्र में यह निर्धारित नहीं किया गया है कि यदि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व पोस्ट फैक्टो ईसी दिया जाता है तो पर्यावरण पर हानिकारक प्रभावों का ध्यान कैसे रखा जाएगा। 1994 की ई. आई. ए. अधिसूचना अनिवार्य करती है कि

पूर्व पर्यावरणीय मंजूरी। सर्कुलर 1994 की ई. आई. ए. अधिसूचना के आवेदन में काफी संशोधन या बदलाव करता है। जब तक पर्यावरण मंजूरी प्राप्त नहीं हो जाती है, तब तक किसी नई परियोजना को शुरू नहीं करने या किसी मौजूदा परियोजना का विस्तार या आधुनिकीकरण नहीं करने का आदेश कमजोर हो जाता है और 14 मई 2002 के प्रशासनिक परिपत्र के जारी होने से अप्रभावी हो जाता है। यह चर्चा हमें इस निष्कर्ष पर ले जाती है कि प्रशासनिक परिपत्र धारा 3 द्वारा संरक्षित उपाय नहीं है। इसलिए एन. जी. टी. पर इसकी वैधता या अधिकारिता की जांच करने के लिए कोई अधिकार क्षेत्र प्रतिबंध नहीं था। इसके अलावा, प्रशासनिक परिपत्र ई. आई. ए. अधिसूचना 1994 के विपरीत है जिसका एक वैधानिक चरित्र है। यह परिपत्र कानून की दृष्टि से अस्थिर है।

22. एलेम्बिक फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्री कपिल सिब्बल ने ई. आई. ए. अधिसूचना जारी करने का आग्रह किया

दिनांक 27 जनवरी 1994 में "पूर्व" अभिव्यक्ति को हटा दिया गया है और इसकी तुलना 14 सितंबर 2006 की ई. आई. ए. अधिसूचना से की गई है। जो "पूर्व" ईसी की आवश्यकता को निर्धारित करता है। यह, उनके प्रस्तुतिकरण में एक संकेत है कि 14 सितंबर 2006 की अधिसूचना के तहत एक पूर्व निर्वाचन आयोग अनिवार्य है, लेकिन 27 जनवरी 1994 की पूर्व अधिसूचना के तहत ऐसा नहीं था। श्री ए. एन. एस. ने इस व्याख्या का समर्थन नहीं किया था।

नाडकर्णी, विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल, जिन्होंने स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया कि 27 जनवरी 1994 की अधिसूचना के तहत आवश्यकता एक पूर्व निर्वाचन आयोग की थी। हम श्री कपिल के निवेदन को स्वीकार करने में असमर्थ हैं।

सिब्बल। 27 जनवरी 1994 की ई. आई. ए. अधिसूचना की शर्तों में कोई संदेह नहीं है कि एक नई परियोजना शुरू करने से पहले या किसी मौजूदा परियोजना के किसी भी विस्तार या आधुनिकीकरण को शुरू करने से पहले एक पूर्व ई. सी. को अनिवार्य किया गया था। 27 जनवरी 1994 की ई. आई. ए. अधिसूचना में "पूर्व" अभिव्यक्ति की अनुपस्थिति से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि "नहीं लिया जाएगा. जब तक कि" पूर्व ई. सी. की आवश्यकता को स्वीकार नहीं करता है। कॉमन कॉज बनाम भारत संघ 2 3 ("कॉमन कॉज") मामले में इस न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ की ओर से न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर ने कहा,

खनन पट्टा धारकों की ओर से जो आग्रह किया गया था, उसे अस्वीकार कर दिया कि -

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" 108 ..... पूर्व पोस्ट फैक्टो ईसी प्राप्त करने की संभावना एक संकेत था

खनन पट्टाधारकों के लिए कि ईसी प्राप्त करना अनिवार्य नहीं था या कि यदि यह प्राप्त नहीं किया गया था, तो डिफ़ॉल्ट पूर्वव्यापी था

" 125. हम विद्वान वकील से सहमत नहीं हैं खनन पट्टाधारक। इसमें कोई संदेह नहीं है कि अनुदान

प्रदूषण भार, एक पूर्व ईसी आवश्यक है और जैसा कि पहले से ही आयोजित किया गया है इस न्यायालय द्वारा एम. सी. मेहता [एम. सी. मेहता बनाम। संघ का

भारत, (2004) 12 एस. सी. सी. 118] यहाँ तक कि खनन के नवीनीकरण के लिए भी। पट्टा जहां कोई विस्तार या आधुनिकीकरण नहीं है

पर्यावरण मंजूरी के लिए हानिकारक होगा पर्यावरण और अपूरणीय क्षरण का कारण बन सकता है

पर्यावरण। एक पूर्व पोस्ट फैक्टो या एक की अवधारणा

पूर्वव्यापी ईसी पर्यावरण के लिए पूरी तरह से विदेशी है

ई. आई. ए. 1994 और ई. आई. ए. 2006 सहित न्यायशास्त्र। हम बनाते हैं।

यह स्पष्ट है कि एक ईसी की तारीख से पहले लागू नहीं होगा यह अच्छा है "।

(जोर दिया गया)

23. एक पूर्व पोस्ट फैक्टो ईसी की अवधारणा का अपमान है

पर्यावरण न्यायशास्त्र के मौलिक सिद्धांत और 27 जनवरी 1994 की ई. आई. ए. अधिसूचना के लिए एक अभिशाप है। जैसा कि कॉमन कॉज के फैसले में कहा गया है, यह पर्यावरण के लिए हानिकारक है और अपूरणीय क्षरण का कारण बन सकता है। एक पूर्वव्यापी ईसी या एक पूर्व पोस्ट फैक्टो मंजूरी पर्यावरण न्यायशास्त्र के लिए विदेशी होने का कारण यह है कि एक ईसी जारी करने से पहले, वैधानिक अधिसूचना पर्यावरण पर एक प्रस्तावित गतिविधि के संभावित परिणामों के अध्ययन के अलावा, दिमाग के सावधानीपूर्वक अनुप्रयोग की गारंटी देती है। निर्णय लेने की प्रक्रिया के विभिन्न चरणों को पूरा करने के बाद ही ईसी जारी किया जा सकता है।

एलेम्बिक फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड। वी. रोहित प्रजापति और ओआरएस। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

सार्वजनिक सुनवाई, जाँच आदि जैसी आवश्यकताएँ,

कैलकुलस बनाना। पूर्व कार्योत्तर मंजूरी की अनुमति देना अनिवार्य रूप से ईसी के अनुदान के बिना औद्योगिक गतिविधियों के संचालन को माफ कर देगा। ईसी के अभाव में ऐसी कोई शर्त नहीं होगी जो पर्यावरण की रक्षा करे। इसके अलावा, अगर ई. सी. को अंततः अस्वीकार कर दिया जाता, तो अपूरणीय क्षति होती। पर्यावरण। मामले के किसी भी दृष्टिकोण में, पर्यावरण कानून एक पूर्व पोस्ट फैक्टो मंजूरी की धारणा को स्वीकार नहीं कर सकता है। यह एहतियाती सिद्धांत के साथ-साथ सतत विकास की आवश्यकता दोनों के विपरीत होगा।

24. न्यायालय को अनुपालन की स्थिति का आकलन करने में सक्षम बनाने के लिए,

(i) एलेम्बिक फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड; (ii) यूनाइटेड फॉस्फोरस लिमिटेड; और (iii) यूनिक केमिकल्स लिमिटेड द्वारा रिकॉर्ड पर उत्पादित सामग्री को तीनों उद्योगों में से प्रत्येक के लिए सारणीबद्ध रूप में संकलित किया गया है। एलेम्बिक फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड के लिए, इसकी दो औद्योगिक इकाइयों-दर्शक प्राइवेट लिमिटेड (एपीआई-I) और निरायु प्राइवेट लिमिटेड (एपीआई-II) के आंकड़ों का अलग से विश्लेषण किया गया है। तीनों उद्योगों में से प्रत्येक के लिए, नीचे दी गई तालिका ए में उद्योग द्वारा विभिन्न प्राधिकरणों से प्राप्त अनुमतियों, सहमति और प्राधिकरणों की सूची शामिल है। तालिका बी में उन ईसी की सूची दी गई है जिन्हें मंजूरी दी गई थी समय-समय पर प्रत्येक औद्योगिक इकाई को। नीचे सारणीबद्ध स्थिति उस सामग्री पर आधारित है जिसका खुलासा इन कार्यवाहियों के अभिलेख में किया गया है:

तालिका ए: अलेम्बिक को दी गई अनुमतियों, सहमति और प्राधिकरणों की सूची

फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड

दर्शक (एपीआई-I)

अनुमति/सहमति/प्राधिकरण प्रदान किया गया

तिथि

17 जुलाई 1992

जी. पी. सी. बी. ने एक औद्योगिक संस्थान स्थापित करने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया।

एपीआई-I में निम्नलिखित वस्तुओं के निर्माण के लिए: ((i) सिप्रोफ्लोक्सासिन (1.25 एम. टी. पी. एम.); और (ii) नॉरफ्लोक्सासिन (2.5 एम. टी. पी. एम.)

जी. पी. सी. बी. को अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान किया गया

11 जून 1997

के लिए

अतिरिक्त विनिर्माण

ए. पी. आई.-I में आइटम

29 मई 1997

जी. पी. सी. बी. ने ए. पी. आई.-I के संचालन के लिए

हवाई सहमति आदेश जारी किया

11 जुलाई 1997,

जी. पी. सी. बी. ने विनिर्माण के लिए अनापत्ति प्रमाण

पत्र प्रदान किया

12 जुलाई 1997 और 27 जुलाई एपीआई-I पर अतिरिक्त आइटम

1998

जी. पी. सी. बी. ने ए. पी. आई.-I के संचालन के लिए

हवाई सहमति आदेश जारी किया

31 मार्च 1999

जी. पी. सी. बी. ने एपी-I के संचालन के लिए जल

सहमति आदेश जारी किया

11 अक्टूबर

1999

27 सितंबर के बीच

जी. पी. सी. बी. ने वायु अधिनियम, जल अधिनियम के

तहत विभिन्न सहमति जारी की

और खतरनाक अपशिष्ट नियम।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

तालिका एः अलेम्बिक को दी गई अनुमतियों, सहमति और प्राधिकरणों की सूची

फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड

दर्शक (एपीआई-I)

तिथि	अनुमति/सहमति/प्राधिकरण प्रदान किया गया
17 जुलाई 1992	जी. पी. सी. बी. ने एक औद्योगिक संस्थान स्थापित करने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया।
	इकाई
	एपीआई-I में निम्नलिखित वस्तुओं के निर्माण के लिएः (i) सिप्रोफ्लोक्सासिन (1.25 एम. टी. पी. एम.) और (ii) नॉरफ्लोक्सासिन (2.5 एम. टी. पी. एम.)
11 जून 1997	जी. पी. सी. बी. को अनापत्ति प्रमाणपत्र प्रदान किया गया
	के लिए
	अतिरिक्त विनिर्माण
	एपीआईआई में आइटम
	जी. पी. सी. बी. ने ए. पी. आई.-I के संचालन के लिए हवाई सहमति आदेश जारी किया
29 मई 1997	
11 जुलाई 1997,	जी. पी. सी. बी. ने 12 जुलाई 1997 और 27 जुलाई को ए. पी. आई.-I में अतिरिक्त वस्तुओं के निर्माण के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान किया।
1998	जी. पी. सी. बी. ने ए. पी. आई.-I के संचालन के लिए हवाई सहमति आदेश जारी किया

31 मार्च 1999

जी. पी. सी. बी. ने एपी-I के संचालन के लिए जल सहमति आदेश जारी किया

11

अक्टूबर

1999

27 सितंबर के बीच

जी. पी. सी. बी. ने वायु अधिनियम, जल अधिनियम के तहत विभिन्न सहमति जारी की

23

और खतरनाक अपशिष्ट नियम।

2002 दिसंबर 2011

निरायु प्राइवेट लिमिटेड (एपीआई II-)

तिथि

अनुमति/सहमति/प्राधिकरण प्रदान किया गया

12 जुलाई 1984

निरायु प्राइवेट लिमिटेड के पक्ष में कारखाने का लाइसेंस जारी किया गया था

24 मई 1985

जी. पी. सी. बी. ने ए. पी. आई.-II के संचालन के लिए जल सहमति आदेश जारी किया

9 अक्टूबर 1991

जी. पी. सी. बी. ने एक औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए साइट क्लीयरेंस प्रमाणपत्र जारी किया।

इकाई

और एपीआई-II में निम्नलिखित वस्तुओं का निर्माण करें: (i) सी. आई. एम. सी.

क्लोराइड (2000 कि. ग्रा. पी. एम.); और (ii) क्लॉक्सासिलिन सोडियम (500 कि. ग्रा. पी. एम.)

12 मई 1993

जी. पी. सी. बी. ने एक औद्योगिक संस्थान स्थापित करने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान किया।

निम्नलिखित वस्तुओं की इकाई और निर्माणः (i) एसीटोन

थियोसेमिकार्बाज़ोन

(2 एम. टी. पी. एम.); (ii) 2 मेरकाप्टा (5 एम. टी. पी. एम.); (iii) मेथॉक्स यॉर्थॉक्सीमिथाइल

क्लोराइड (0.3 एम. टी. पी. एम.); और (iv) विलायक ईथर (7 एम. टी. पी. एम.)

1 सितंबर

जी. पी. सी. बी. ने खतरनाक के तहत ए. पी. आई.-II के संचालन के लिए प्राधिकरण जारी किया

1993

अपशिष्ट नियम

जी. पी. सी. बी. ने ए. पी. आई.-II के संचालन के लिए जल सहमति आदेश जारी किया

23 सितंबर

1993

जी. पी. सी. बी. ने विनिर्माण के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान किया

4

दिसंबर

अतिरिक्त

1995

ए. पी. आई.-II में आइटम

जी. पी. सी. बी. ने ए. पी. आई.-II के संचालन के लिए हवाई सहमति आदेश जारी किया

4 अक्टूबर 1996

और 17 अप्रैल

1998 एलेम्बिक औषधीय

लिमिटेड। वी. रोहित प्रजापति

& ओआरएस। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

1 सितम्बर 1999

जी. पी. सी. बी. ने समेकित सहमति और प्राधिकरण प्रदान किया

एपीआई-II का संचालन करें

12 नवंबर 1999

जी. पी. सी. बी. ने ए. पी. आई.-II के संचालन के लिए जल सहमति आदेश जारी किया

14 दिसंबर 2001

जी. पी. सी. बी. ने खतरनाक अपशिष्ट नियमों के तहत ए. पी. आई.-II के संचालन के लिए प्राधिकरण जारी किया

27 सितंबर के बीच जी. पी. सी. बी. ने वायु अधिनियम, जल 2002-6 जनवरी 2015 अधिनियम और खतरनाक अपशिष्ट नियमों के तहत विभिन्न सहमति जारी की।

तालिका बीः एलेम्बिक फार्मास्युटिकल्स को दी गई पर्यावरणीय मंजूरी की सूची

सीमित

दर्शक (एपीआई-)

विस्तार के लिए ईसी

तिथि

तिथि

ई. सी. द्वारा स्वीकृत तिथि

सार्वजनिक

(मात्रा)

आवेदन

सुनना।

21

30 जुलाई 2002

विभिन्न प्रकार के विनिर्माण

14 मई 2003

के अनुसार

थोक दवाएँ और मध्यवर्ती

द.

यह भी

1994

2001

अधिसूचना

कुल क्षमता वाले उत्पाद

में से

15 एमटी पी. एम.

कुल क्षमता का विस्तार

16 अप्रैल 2008

के अनुसार

9 अक्टूबर 2007

8 दिसंबर

थोक दवाएं 15 से 25 मीट्रिक टन तक

2006

द.

यह भी

2006

अधिसूचना

पी एम

कुल क्षमता का विस्तार

31 जनवरी

2017 के अनुसार

16

12 जून 2015

फार्मास्युटिकल

यह भी

सितंबर

सक्रिय

2006

अधिसूचना

25 से 75 मीट्रिक टन तक की सामग्री

2015

पी एम

कोयला

निरायु प्राइवेट लिमिटेड (एपीआई-II)

विस्तार के लिए ईसी

तिथि

सार्वजनिक होने की तिथि

ई. सी. द्वारा

स्वीकृत तिथि

(मात्रा)

आवेदन

सुनना।

विभिन्न प्रकार का विनिर्माण 14 मई 2003 के

अनुसार

30 जुलाई 2002

20

थोक दवाएँ

2001

यह भी

और

1994

अधिसूचना के साथ मध्यवर्ती उत्पाद

कुल क्षमता

47 एमटी पी. एम.

कुल 20 दिसंबर 2016 का विस्तार

मार्च 12 जून 2015

28

2006 ई. आई. ए. के अनुसार सक्रिय क्षमता

2016

फार्मा अधिसूचना

सामग्री

और मध्यवर्ती

47 से 300 मीट्रिक टन दोपहर [2020] 10 एस. सी. एफ.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

तालिका एः दी गई अनुमतियों, सहमति और प्राधिकरणों की सूची

यूनाइटेड के लिए

फॉस्फोरस लिमिटेड

इकाई संख्या 2-प्लॉट संख्या 3405 और 3406

तिथि

अनुमति/सहमति/प्राधिकरण

मंजूर किया गया।

गुजरात औद्योगिक विकास निगम ने मंजूरी दी

31

जनवरी

भूमि के लिए

1992

इकाई संख्या 2 की स्थापना और संचालन के लिए अपीलार्थी

जी. पी. सी. बी. ने संचालन के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया

9 मार्च 1992

इकाई संख्या 2 में

विभिन्न उत्पादों के निर्माण से संबंध

जी. पी. सी. बी. ने एक इकाई स्थापित करने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र

जारी किया

3 अक्टूबर 1992

(iii) पैराक्काट

इकाई संख्या 2 ने विनिर्माण गतिविधियों की शुरुआत की

1993

जी. पी. सी. बी. ने विस्तार के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान किया

17

नवंबर

दो अतिरिक्त उत्पादों के निर्माण के लिए इकाई संख्या 2 -

1995

फोरेट और टेरबुफोज

(300 एम. टी. पी. एम संयुक्त)

2 अप्रैल 1996

जी. पी. सी. बी. ने विस्तार के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान किया

इकाई संख्या 2 के लिए एसेफेट का निर्माण (80 एम. टी. प्रति माह)

27 अगस्त 2009

जी. पी. सी. बी. ने एक समेकित सहमति और प्राधिकरण प्रदान किया इकाई संख्या 2 तक

जी. पी. सी. बी. ने विस्तार के लिए स्थापना (एन. ओ. सी.) के लिए सहमति जारी की

25 जुलाई 2012

इकाई संख्या 2

जी. पी. सी. बी. ने एक समेकित सहमति और प्राधिकरण प्रदान किया

11 मई 2015

27 अप्रैल

विस्तारित संचालन के लिए

और 2017

डब्ल्यूटीएफ

तालिका बीः यूनाइटेड फॉस्फोरस लिमिटेड को दी गई पर्यावरणीय मंजूरी की सूची

इकाई संख्या 2-प्लॉट संख्या 3405 और 3406

विस्तार के लिए ईसी (मात्रा)

ई. सी. द्वारा स्वीकृत तिथि

तिथि

तिथि

सार्वजनिक

आवेदन

सुनना।

21 16 अगस्त 2002 फोरेट का निर्माण और

17 जुलाई

2003 के अनुसार

ई. आई. ए. की

अधिसूचना

टेरबुफोज (300 एमटी पी. एम.)

2002

संयुक्त) और एसेफेट (80

1994

एम. टी. प्रति माह)

20 अक्टूबर

कीटनाशकों का विस्तार और मध्यवर्ती उत्पादों के अनुसार

15 अप्रैल 2008।

2007

ई. आई. ए. की

अधिसूचना

2006

फोरेट का उत्पादन और

- टेरबुफोज को बढ़ाया जाएगा

500 एमटीपीएम संयुक्त

एसेफैट आदि का उत्पादन

1000 एम. टी. पी. एम. तक बढ़ाया जाए

9546 एम. टी. की बढ़ी हुई क्षमता

10 जनवरी

2020 में

ई. आई. ए.

अधिसूचना के अनुसार

प्रति माह (लिखित के अनुसार)

उप मिशन)

2006 ए. एल. इ. एम. बी. आई. सी. औषधीय

लिमिटेड। वी. रोहित प्रजापति

& ओआरएस। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड, जे।]

तालिका एः को दी गई अनुमतियों, सहमति और प्राधिकरणों की सूची

यूनिक केमिकल्स लिमिटेड

प्लॉट नंबर 5 पर इकाई

तिथि

अनुमति/नुकसान/प्राधिकरण प्रदान किया गया

14 अगस्त 1995

जी. पी. सी. बी. ने एक स्थापना और संचालन के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया

इकाई

(स्थल निकासी) प्लॉट संख्या 5 पर

जी. पी. सी. बी. ने इकाई के संचालन के लिए अधिकृत वायु सहमति आदेश जारी किया

30 सितंबर

प्लॉट नंबर 5

1995

जी. पी. सी. बी. ने स्थापना के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया और

दिसंबर

25

प्लॉट संख्या 5 पर इकाई में निम्नलिखित वस्तुओं का निर्माण करेंः ((i)

1995

डाइक्लोटोफेनेंस सोडियम (6 एम. टी. पी. एम.); (ii) निफेडिपिन (2 एम. टी. पी. एम.); (iii) इंडोलिनोन (6.9 एम. टी. पी. एम.); और

(iv) पेफ्लोक्सासिन (दोपहर 3 एम. टी.)

9 जनवरी 1996

जी. पी. सी. बी. ने खतरनाक अपशिष्ट नियमों के तहत प्राधिकरण जारी किया जी. पी. सी. बी. ने इकाई के संचालन के लिए जल सहमति आदेश जारी किया

16 अप्रैल 1996

प्लॉट में

नंबर 5

प्लॉट नंबर 5 की इकाई ने विनिर्माण गतिविधियां शुरू कीं।

24 अप्रैल 1996

15 अप्रैल 2009

जी. पी. सी. बी. ने एक समेकित सहमति और प्राधिकरण प्रदान किया

इकाई में

प्लॉट नंबर 5

जी. पी. सी. बी. ने समेकित सहमति और प्राधिकरण में संशोधन किया

11 जून 2010

और 26 जून

15 अप्रैल 2009 को दिए गए भूखंड संख्या 5 पर इकाई को

2012

30 मई 2011

जी. पी. सी. बी. ने गैस आधारित संयंत्र स्थापित करने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान किया

शक्ति

प्लॉट संख्या 5 पर इकाई में 400 किलोवाट की क्षमता का उत्पादन संयंत्र

2 नवंबर

जी. पी. सी. बी. ने एक नई समेकित सहमति और प्राधिकरण प्रदान किया

के लिए

2013

थोक दवाओं और मध्यवर्ती दवाओं के निर्माण के लिए प्लॉट संख्या 5 पर इकाई

1 जुलाई 2016

अपीलार्थी को शून्य तरल निर्वहन इकाई के रूप में प्रमाणित किया गया था जनवरी जी. पी. सी. बी. ने एक नई समेकित सहमति और प्राधिकरण प्रदान किया।

25

के लिए

2019

प्लॉट नंबर 5 पर इकाई

अक्टूबर

जी. पी. सी. बी. ने संशोधित समेकित सहमति जारी की और

25

के लिए प्राधिकरण

2019

जिन उत्पादों की अनुमति दी गई थी उनकी संख्या में वृद्धि

प्लॉट नंबर 5 [2020] 10 एस. सी. आर. में इकाई में निर्मित।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

तालिका बीः यूनिक केमिकल्स लिमिटेड को दी गई पर्यावरणीय मंजूरी की सूची

प्लॉट नंबर 5 पर इकाई

विस्तार के लिए ईसी

तिथि

सार्वजनिक होने की तिथि

तारीख ईसी

(मात्रा)

मंजूर किया गया।

आवेदन

सुनना।

25 जनवरी 2002

कुल क्षमता 78.02 मीट्रिक टन

23 दिसंबर 2002 में

30 जून 2001

थोक दवाओं का पीएम और

ई. आई. ए.

अधिसूचना के अनुसार

मध्यवर्ती।

1994

(i) का विनिर्माण

सोडियम

डाइक्लोफेनाक

मध्यवर्ती और व्युत्पन्न

(40 एमटी पी. एम.); निफेडिपिन और इसका मध्यवर्ती (2 एम. टी. पी. एम); (iii) इंडेलिनोन (7 एम. टी. पी. एम); ((iv) पेफ्लोक्सासिन और इसका मध्यवर्ती (3 एम. टी. पी. एम); (v) 2 मिथाइल इमिडाज़ोल (15) एम. टी. पी. एम.); (vi) फेंटोलामाइन पी. एम.) और (viii) अन्य सह उत्पादों

8 अगस्त 2007 में वृद्धि के अनुसार

12 जनवरी 2007 के लिए

छूट

थोक दवाओं का निर्माण ई. आई. ए. अधिसूचना 2006

प्रस्तावित परियोजना अधिसूचित में स्थित है और एक से मध्यवर्ती औद्योगिक क्षेत्र

78.02 से कुल क्षमता एमटी पी. एम. से 116.12 एमटी पी. एम. वृद्धि के लिए का निर्माण सो।

कुल से उत्पाद

103 एम. टी. पी. एम. की क्षमता

297 एमटी पी. एम.

बंदी बनाने के लिए

1. 3 मेगावाट के साथ बिजली संयंत्र

क्षमता

ई. आई. ए. के अनुसार 30 जून 2018 में

वृद्धि

16 मार्च 2018

छूट

के लिए

अधिसूचना

2006

थोक दवाओं का निर्माण

प्रस्तावित परियोजना

अधिसूचित में स्थित है

और एक से मध्यवर्ती

औद्योगिक क्षेत्र

78.02 से कुल क्षमता

एमटी पी. एम. से

290 एम. टी. पी. एम

सेटिंग

ऊपर से

विनिर्माण संयंत्र

ई. सी. में संशोधन दिनांकित

10 अप्रैल

2019

30

2006 के

अनुसार

जून 2018 बढ़ रहा है

की संख्या

अनुमति दी गई

ईआईए

अधिसूचना

उत्पादों

द्वारा निर्मित

अपीलार्थी ने

प्लॉट नंबर 5 पर इकाई

25. अभिलेख से जो स्थिति सामने आती है वह यह है कि मामले में

तीनों उद्योगों, ईसी को लगभग एक दशक से लागू किया गया थाः

ई. आई. ए. अधिसूचना 1994 की शुरूआत। इस बीच,धूलखाने स्थापित किए गए थे और उत्पादन शुरू कर दिया गया था।

जी. पी. सी. बी. ने एलेम्बिक फार्मास्यूटिकल्स जारी किए

लिमिटेड। वी. रोहित प्रजापति

& ओआरएस। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

30 अप्रैल 2001 को यूनाइटेड फॉस्फोरस लिमिटेड को एक नोटिस दिया गया जिसमें उन्हें ईसी के लिए आवेदन करने का निर्देश दिया गया। 9 दिसंबर 2000 को जी. पी. सी. बी. ने दर्शक प्राइवेट लिमिटेड (ए. पी. आई.-I) और निरायु प्राइवेट लिमिटेड (ए. पी. आई.-II) को एक नोटिस जारी किया जिसमें उन्हें 1994 की ई. आई. ए. अधिसूचना के अनुसार ई. सी. के लिए आवेदन करने और प्राप्त करने का निर्देश दिया गया। एलेम्बिक फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड के दर्शक प्राइवेट लिमिटेड (एपीआई-I) ने 21 जुलाई 2001 को ईसी के लिए आवेदन किया था जिसे 14 मई 2003 को मंजूरी दी गई थी। क्षमता के विस्तार के लिए बाद के आवेदन 8 दिसंबर 2006 और 16 सितंबर 2015 को प्रस्तुत किए गए थे, जिसके लिए ईसी क्रमशः 16 अप्रैल 2008 और 31 जनवरी 2017 को दिए गए थे। निरायु प्राइवेट लिमिटेड (एपीआई-II) ने शुरू में 20 जुलाई 2001 को ईसी के लिए आवेदन किया था और ईसी को 14 मई 2003 को मंजूरी दी गई थी। द.

विस्तारित क्षमता के लिए ईसी के अनुदान के लिए आवेदन 28 मार्च 2016 को प्रस्तुत किया गया था और ईसी को 20 दिसंबर 2016 को मंजूरी दी गई थी। यूनाइटेड फॉस्फोरस लिमिटेड के मामले में, प्रारंभिक ईसी की मांग 21 अगस्त 2002 को की गई थी और इसे 17 जुलाई 2003 को प्रदान किया गया था। क्षमता के विस्तार के लिए 20 अक्टूबर 2007 को एक आवेदन प्रस्तुत किया गया था और यह था

15 अप्रैल 2008 को प्रदान किया गया। क्षमता के और विस्तार के लिए एक ईसी

10 जनवरी 2020 को प्रदान किया गया था। यूनिक केमिकल्स लिमिटेड के मामले में, ईसी के लिए प्रारंभिक आवेदन 30 जून 2001 को प्रस्तुत किया गया था और इसे 23 दिसंबर 2002 को मंजूरी दी गई थी। क्षमता विस्तार के लिए बाद के आवेदन 12 जनवरी 2007 और 16 मार्च 2018 को प्रस्तुत किए गए थे, जिसके लिए ईसी को क्रमशः 8 अगस्त 2017 और 30 जून 2018 को मंजूरी दी गई थी। निर्वाचन आयोग में दिनांक 30 जून 2018 को एक संशोधन 10 अप्रैल 2019 को दिया गया था। तीनों उद्योगों द्वारा प्रकट किए गए दस्तावेजों से पता चलता है कि 1994 की ई. आई. ए. अधिसूचना द्वारा अनिवार्य रूप से संचालन की शुरुआत या विस्तार से पहले कोई ई. सी. नहीं मांगा गया था। 1994 की ई. आई. ए. अधिसूचना की शर्तों में विस्तार की परिकल्पना की गई है या

किसी भी गतिविधि (यदि प्रदूषण का भार मौजूदा से अधिक है) या अनुसूची-I में सूचीबद्ध किसी नई परियोजना का आधुनिकीकरण नहीं किया जाएगा।

जब तक कि इसे ईसी नहीं दिया गया हो। वर्तमान मामले में, तीनों उद्योगों ने ई. आई. ए. अधिसूचना 1994 के तहत काम करना जारी रखा।

26. तीनों उद्योगों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने अपनाए गए कई अतिरिक्त उपायों पर भरोसा किया है, जैसे कि

नवीनतम प्रदूषण पकड़ने वाली प्रौद्योगिकियां, जी. पी. सी. बी. से हाल की सहमति और "शून्य निर्वहन" इकाइयों का प्रमाणन। इन उपायों को अपनाया गया

बाद में परियोजनाओं का संचालन शुरू होने से पहले ईसी प्राप्त करने में विफलता का इलाज नहीं होगा। ये उपाय केवल प्रदूषण मानकों और आज तक मौजूद कानून की आवश्यकताओं का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए हैं। इन प्रस्तुतियों का यह निर्धारित करने पर कोई असर नहीं है कि क्या [2020] 10 एस. सी. आर.

औद्योगिक इकाइयाँ अतीत में अपेक्षित पर्यावरण मानकों के अनुपालन में काम कर रही थीं। ये उपाय ऐतिहासिक गलतियों के लिए सुधार के रूप में कार्य नहीं कर सकते हैं और निर्माण गतिविधियों के परिणामस्वरूप पहले से ही पर्यावरण को हुए नुकसान की भरपाई नहीं कर सकते हैं जो ईसी के बिना किए गए थे।

27. तीनों उद्योगों के विद्वान वकील ने आग्रह किया कि 1994 की ई. आई. ए. अधिसूचना उनकी विनिर्माण इकाइयों पर लागू नहीं होती क्योंकि वे

व्याख्यात्मक टिप्पणी के खंड 8 के संदर्भ में छूट द्वारा कवर किया गया था। जिस मुद्दे पर विचार करने की आवश्यकता है, वह यह है कि क्या उद्योग छूट के दायरे में थे और उन्हें ई. सी. प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं थी। 1994 की ई. आई. ए. अधिसूचना के व्याख्यात्मक नोट के खंड 8 में इस प्रकार कहा गया हैः

" 8. पहले से शुरू की गई परियोजनाओं के लिए छूट

एन. ओ. सी. सहित राज्य सरकार की मंजूरी संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को 27 जनवरी 1994 से पहले प्राप्त किया गया है, एक परियोजना प्रस्तावक को आई. ए. ए. से पर्यावरण मंजूरी लेने की आवश्यकता नहीं होगी। हालांकि, जिन इकाइयों ने अभी तक उत्पादन शुरू नहीं किया है, वे आई. ए. ए. को सूचित करेंगे।

28. खंड 8 में निहित छूट लागू होने से पहले, अनुसूची-I में सूचीबद्ध परियोजनाओं के लिए सभी प्रासंगिक प्राप्त करना आवश्यक था। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से एन. ओ. सी. सहित राज्य सरकार से मंजूरी। दूसरे शब्दों में यह केवल राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से एन. ओ. सी. प्राप्त करने के लिए पर्याप्त नहीं था। छूट

व्याख्यात्मक टिप्पणी में यह सुनिश्चित किया गया था कि भूमि अधिग्रहण के बाद राज्य स्तर पर सभी आवश्यक मंजूरी प्राप्त करने वाली गतिविधियों को संरक्षित किया जाना चाहिए। वास्तव में, उनमें से कई में 27 जनवरी 1994 से पहले उत्पादन की शुरुआत भी शामिल होगी। व्याख्यात्मक टिप्पणी में कहा गया है कि जहां उत्पादन अभी तक नहीं हुआ था

शुरुआत में, आई. ए. ए. को सूचित करना होगा। छूट के दायरे में आने के लिए, उद्योग पर इस न्यायालय के समक्ष यह प्रदर्शित करने का बोझ है कि उन्होंने निम्नलिखित शर्तों को पूरा किया है -

व्याख्यात्मक टिप्पणी का खंड 8। ई. आई. ए. अधिसूचना 1994 एहतियाती उपायों के कार्यान्वयन को प्रभावी बनाने में एक महत्वपूर्ण साधन है।

सिद्धांत। भार परियोजना के प्रस्तावक पर पड़ता है जो पर्यावरण की स्थिति को बदलना चाहता है या पर्यावरण पर एलेम्बिक फार्मास्यूटिकल्स का प्रभाव डालना चाहता है।

लिमिटेड। वी. रोहित प्रजापति

& ओआरएस। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

प्रदर्शित करें कि जिन शर्तों पर छूट दी गई है, वे पूरी हो गई हैं। एक छूट को उसके स्पष्ट शब्दों के अनुसार उसके सख्त अर्थों में समझा जाना चाहिए। इससे पहले तीन उद्योगों में से कोई नहीं

न्यायालय ने एक विस्तृत सूची प्रस्तुत की है कि "राज्य सरकार से प्रासंगिक मंजूरी" क्या थीं जिन्हें कानून के प्रावधानों के तहत प्राप्त किया जाना था जैसा कि तब था।

29. इस पृष्ठभूमि के साथ, अब हम व्यक्तिगत रूप से मूल्यांकन करेंगे कि क्या विचाराधीन उद्योग खंड द्वारा प्रदान की गई छूट के लिए योग्य हैं।

8 व्याख्यात्मक नोट के लिए।

30. एलेम्बिक फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड (i) दर्शक प्राइवेट लिमिटेड (एपीआई-I)

अभिलेख पर उत्पादित सामग्री से संकेत मिलता है कि 17 जुलाई 1992 को जी. पी. सी. बी. ने एक औद्योगिक इकाई स्थापित करने के लिए एन. ओ. सी. जारी किया था और

दो औषधीय उत्पादों का निर्माण करें। हालाँकि, 27 जनवरी 1994 की ई. आई. ए. अधिसूचना के बाद अतिरिक्त वस्तुओं के निर्माण के लिए एन. ओ. सी. केवल 11 जून 1997 को जारी किया गया था। जी. पी. सी. बी. द्वारा 17 जुलाई 1992 को जारी एन. ओ. सी. में स्पष्ट रूप से कहा गया हैः

" हम आपको सूचित करना चाहते हैं कि इस औद्योगिक संयंत्र के लिए प्रस्तावित स्थान हमें स्वीकार्य है बशर्ते कि आप

रोकथाम के लिए निम्नलिखित उपाय लागू करें और

पर्यावरण प्रदूषण का नियंत्रणः

(ए) ई

(बी) (

सी)

(डी) प्रबंधन और संचालन के लिए पर्याप्त व्यवस्था

खतरनाक कचरा बनाया जाएगाः

महत्वपूर्ण टिप्पणी

(3) आवेदक/उद्यमी को प्राप्त करना आवश्यक होगा

शुरू होने से पहले बोर्ड से निम्नलिखित

उत्पादनः (क)

जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के तहत सहमति।

0] 10 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

(बी) वायु के तहत सहमति (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण)

अधिनियम 1981।

(ग) खतरनाक अपशिष्ट (प्रबंधन और प्रबंधन) के तहत प्राधिकरण

पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम के तहत) नियम 1989 1986. "

(जोर दिया गया)

जी. पी. सी. बी. ने एक औद्योगिक इकाई स्थापित करने के लिए एन. ओ. सी. देते हुए

परियोजना प्रस्तावक से पर्यावरण प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण के लिए कुछ उपाय करने की आवश्यकता होती है जिसमें उपचार संयंत्रों की स्थापना, निर्धारित सीमाओं के भीतर अपशिष्टों का निर्वहन और औद्योगिक इकाई के चारों ओर एक हरित पट्टी का निर्माण शामिल है। "महत्वपूर्ण टिप्पणी" के तहत एक बिंदु में कहा गया है कि परियोजना प्रस्तावक को उत्पादन शुरू करने से पहले "बोर्ड से" वायु अधिनियम, जल अधिनियम और खतरनाक अपशिष्ट नियमों के तहत आवश्यक सहमति और प्राधिकरण प्राप्त करने की आवश्यकता होगी। एन. ओ. सी. में उपयोग की गई भाषा यह स्पष्ट करती है कि विभिन्न पर्यावरण संबंधी कानूनों के तहत सहमति और प्राधिकरण प्राप्त करना एक अनिवार्य पूर्व शर्त थी, न कि केवल निर्देशिका। वर्तमान मामले में, वायु अधिनियम के तहत प्राधिकरण था केवल 29 मई 1997 और 31 मार्च 1999 को जारी किया गया। जल अधिनियम के तहत प्राधिकरण 11 अक्टूबर 1999 को जारी किया गया था। व्याख्यात्मक टिप्पणी के खंड 8 में कहा गया है कि छूट लागू करने के लिए, यह परियोजनाओं के लिए आवश्यक था

अनुसूची-I में सूचीबद्ध राज्य प्रदूषण नियंत्रण से एन. ओ. सी. सहित राज्य सरकार से सभी प्रासंगिक मंजूरी प्राप्त की है। बोर्ड। दर्शक प्राइवेट लिमिटेड द्वारा रिकॉर्ड पर प्रस्तुत साक्ष्य इंगित करता है कि उसके पास ई. आई. ए. अधिसूचना 1994 से पहले वायु अधिनियम, जल अधिनियम और खतरनाक अपशिष्ट नियमों के तहत आवश्यक सहमति और प्राधिकरण नहीं थे। कई सहमति और अनुमतियाँ बाद में प्राप्त की गईं और 1994 की ई. आई. ए. अधिसूचना से पहले नहीं। तदनुसार, दर्शक प्राइवेट लिमिटेड (एपीआई-I) की विनिर्माण इकाई 1994 की ई. आई. ए. अधिसूचना के व्याख्यात्मक नोट के खंड 8 के तहत छूट के दायरे में नहीं आती है।

(ii) निरायु प्राइवेट लिमिटेड (API-II) 12 जुलाई 1984 को ए. पी. आई.-II को एक कारखाने का लाइसेंस जारी किया गया था। 24 को

मई 1985 में जी. पी. सी. बी. ने जल अधिनियम के तहत जल सहमति आदेश जारी किया। यह केवल एनेस्थेटिक ईथर के निर्माण के लिए मान्य था। जी. पी. सी. बी. ने 9 अक्टूबर 1991 को एलेम्बिक फार्मास्यूटिकल्स के निर्माण के लिए साइट क्लीयरेंस सर्टिफिकेट जारी किया।

लिमिटेड। वी. रोहित प्रजापति

& ओआरएस। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

सी. आई. एम. सी. क्लोराइड और क्लोक्सासिलिन सोडियम। एक औद्योगिक इकाई स्थापित करने और उत्पादों के निर्माण के लिए 12 मई 1993 को एक एनओसी जारी की गई थी और 4 दिसंबर 1995 को विस्तार के लिए एक एनओसी जारी की गई थी। यह ध्यान देने योग्य है कि जी. पी. सी. बी. द्वारा निरायु प्राइवेट को 12 मई 1993 को जारी एन. ओ. सी.

लिमिटेड (ए. पी. आई.-II) को ठीक उसी तरीके से लिखा गया है जैसे 17 जुलाई 1992 को दर्शक प्राइवेट लिमिटेड (ए. पी. आई.-I) को एन. ओ. सी. जारी किया गया था। निरायु प्राइवेट लिमिटेड (ए. पी. आई.-II) को 12 मई 1993 को जारी एन. ओ. सी. में यह भी कहा गया है कि परियोजना प्रस्तावक को उत्पादन शुरू करने से पहले जी. पी. सी. बी. से वायु अधिनियम, जल अधिनियम और खतरनाक अपशिष्ट नियमों के तहत आवश्यक सहमति और प्राधिकरण प्राप्त करने की आवश्यकता होगी। निरायु प्राइवेट लिमिटेड (एपीआई-II) के मामले में, खतरनाक अपशिष्ट नियमों के तहत प्राधिकरण 1 सितंबर 1993 को जारी किया गया था। जल अधिनियम के तहत एपीआई-II के संचालन के लिए सहमति 12 नवंबर 1999 को जारी की गई थी। जी. पी. सी. बी. ने 14 दिसंबर 2010 को ए. पी. आई.-II के संचालन के लिए समेकित सहमति और प्राधिकरण जारी किया। उपरोक्त कथन जो निरायु प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किए गए खुलासों पर आधारित है, से यह स्पष्ट है कि 1994 की ई. आई. ए. अधिसूचना से पहले सभी सहमति और अनुमति प्राप्त नहीं की गई थी। तदनुसार, निरायु प्राइवेट लिमिटेड (एपीआई-II) की विनिर्माण इकाई 1994 की ई. आई. ए. अधिसूचना के व्याख्यात्मक नोट के खंड 8 के तहत छूट के दायरे में नहीं आती है।

31. यूनाइटेड फॉस्फोरस लिमिटेड

वायु अधिनियम, जल अधिनियम और खतरनाक अपशिष्ट नियमों के तहत आवश्यक सहमति और प्राधिकरणों के उत्पादन की शुरुआत। यूनाइटेड फॉस्फोरस लिमिटेड ने उन तारीखों का खुलासा नहीं किया है जिन पर उसे प्रासंगिक पर्यावरण कानून के तहत प्राधिकरण प्राप्त हुए हैं। यह रखा गया है वायु अधिनियम, जल अधिनियम और खतरनाक अपशिष्ट (प्रबंधन, हैंडलिंग और सीमा पार आवाजाही) नियम [2020] 10 एस. सी. आर. के तहत 27 अगस्त 2009 को एक समेकित सहमति और प्राधिकरण जारी किया गया था।

2008. जो खुलासे किए गए हैं वे स्पष्ट रूप से अधूरे हैं। यह इंगित करने के लिए कोई सामग्री प्रस्तुत नहीं की गई है कि जी. पी. सी. बी. से एन. ओ. सी. सहित राज्य सरकार से सभी प्रासंगिक मंजूरी दी गई थी।

ई. आई. ए. अधिसूचना 1994 से पहले प्राप्त। तदनुसार, उन्हें 1994 की ई. आई. ए. अधिसूचना के व्याख्यात्मक नोट के खंड 8 के तहत छूट का लाभ नहीं दिया जा सकता है।

32. यूनिक केमिकल्स लिमिटेड

अभिलेख पर उत्पादित सामग्री इंगित करती है कि जी. पी. सी. बी. ने 14 अगस्त 1995 को विनिर्माण इकाई की स्थापना और संचालन के लिए एक एन. ओ. सी. जारी किया था। प्रासंगिक अनुमतियों की सूची को सूचीबद्ध करने वाली तालिका से यह स्पष्ट है, सहमति और प्राधिकरण कि सभी अनुमतियाँ ई. आई. ए. अधिसूचना 1994 जारी होने के बाद प्राप्त हुई थीं। स्पष्ट रूप से, यूनिक केमिकल्स लिमिटेड ई. आई. ए. अधिसूचना 1994 के व्याख्यात्मक नोट के खंड 8 में निहित छूट के लाभ का हकदार नहीं है।

33. उद्योगों द्वारा अभिलेख पर रखी गई सामग्री से यह स्पष्ट हो जाता है कि जिम्मेदारी का घोर त्याग किया गया है

जी. पी. सी. बी. से समय पर सहमति और प्राधिकरण प्राप्त करने के संदर्भ में तीनों उद्योगों द्वारा। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्रासंगिक मंजूरी और सहमति प्राप्त करने और उसके अनुसार पर्यावरण मंजूरी प्राप्त करने के बीच अंतर मौजूद है। 1994 की ई. आई. ए. अधिसूचना के तहत निर्धारित प्रक्रिया के साथ। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी एक सहमति आदेश एक उद्योग को निर्धारित उत्सर्जन मानदंडों के भीतर काम करने की अनुमति देता है। हालांकि, सहमति आदेश सामाजिक लागत और एक उपक्रम के प्रभाव के लिए जिम्मेदार नहीं हैं।

पर्यावरण और उसके आसपास की औद्योगिक गतिविधि। एक औद्योगिक गतिविधि के पर्यावरणीय प्रभाव का एक समग्र विश्लेषण केवल

किसी भी औद्योगिक गतिविधि के प्रतिकूल पर्यावरणीय प्रभाव को कम करना और पर्यावरण की गुणवत्ता में सुधार करना। विकास के प्रति पारिस्थितिक रूप से तर्कसंगत दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। एक औद्योगिक गतिविधि के सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभावों को देखते हुए, पर्यावरण अनुपालन इसे विकास में बाधा के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि सतत विकास और अंतर-पीढ़ीगत समानता प्राप्त करने की दिशा में एक उपाय के रूप में देखा जाना चाहिए।

एलेम्बिक औषधीय

लिमिटेड। वी. रोहित प्रजापति

& ओआरएस। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

34. इसलिए हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि तीनों उद्योगों में से कोई भी 1994 की ई. आई. ए. अधिसूचना के व्याख्यात्मक नोट के खंड 8 में निहित छूट के लाभ का हकदार नहीं था।

35. जो मुद्दा अब अदालत के लिए चिंता का विषय है, वह तीन उद्योगों की विफलता का परिणाम है। अलेम्बिक के मामले में 14 मई 2003 तक अपने ईसी प्राप्त करने के लिए

फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड, यूनाइटेड फॉस्फोरस लिमिटेड के मामले में 17 जुलाई 2003 और यूनिक केमिकल्स लिमिटेड के मामले में 23 दिसंबर 2002। वैध ईसी के बिना तीनों उद्योगों के कारखानों के काम करने से उस क्षेत्र में पर्यावरण, पारिस्थितिकी और जैव विविधता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता जहां वे स्थित हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा 2009-2010 के लिए जारी व्यापक पर्यावरण प्रदूषण सूचकांक 24 रिपोर्ट में देश भर में 88 स्थानों पर पर्यावरण की गुणवत्ता का वर्णन किया गया है। गुजरात राज्य के अंकलेश्वर, जहाँ तीन उद्योग स्थित हैं, में प्रदूषण का गंभीर स्तर 25 देखा गया। 2011 के लिए सी. ई. पी. आई. के अंतरिम मूल्यांकन में, रिपोर्ट अंकलेश्वर क्षेत्र में प्रदूषण के 26 समान महत्वपूर्ण आंकड़ों का संकेत देती है। 2013-27 और 2018-28 के लिए सी. ई. पी. आई. अंक भी काफी अधिक थे। यह एक संकेत है कि औद्योगिक इकाइयाँ अनियमित तरीके से और कानून की अवहेलना करते हुए काम कर रही हैं। औद्योगिक इकाइयों के संचालन से होने वाली कुछ पर्यावरणीय क्षति अपरिवर्तनीय होगी। हालांकि, पर्यावरण की रक्षा और संरक्षण के उपाय करके कुछ हद तक नुकसान को ठीक किया जा सकता है।

36. भले ही इन तीनों के कारण पर्यावरण को हुए नुकसान की सटीक सीमा का व्यक्तिगत रूप से निर्धारण करना संभव नहीं है।

उद्योगों, क्षतिपूर्ति के उचित उपाय का निर्धारण करने में कई परिस्थितियों को न्यायालय के साथ तोलना चाहिए। पहला, यह विवाद में नहीं है कि तीनों उद्योगों ने ई. सी. प्राप्त किया था, हालांकि यह 1994 की ई. आई. ए. अधिसूचना और उत्पादन शुरू होने के कई साल बाद था।

दूसरा, ईसी के अनुदान के बाद, तीनों उद्योगों की विनिर्माण इकाइयों ने भी क्षमता विस्तार के लिए ईसी प्राप्त किए हैं

समय-समय पर। तीसरा, एमओईएफ ने 5 नवंबर 1998 को एक परिपत्र जारी किया था जिसमें 31 मार्च 1999 तक ईसी के लिए आवेदन दायर करने की अनुमति दी गई थी। 24 " सीईपीआई "

25 सीईपीआई स्कोर-88.50 26 सीईपीआई स्कोर-85.75 27 सीईपीआई स्कोर-80.93 28 सीईपीआई स्कोर-80.21 [2020] 10 एससीआर।

बाद में इसे 30 जून 2001 तक बढ़ा दिया गया। 14 मई 2002 को, समय सीमा को जमा के अधीन 31 मार्च 2003 तक बढ़ा दिया गया था।

किए गए निवेश के अनुरूप। एम. ओ. ई. एफ. द्वारा ई. सी. प्राप्त करने के लिए समय बढ़ाने के लिए जारी किए गए परिपत्र गोवा फाउंडेशन (आई) बनाम भारत संघ 2 9 में इस न्यायालय के संज्ञान में आए। चौथा, हालांकि मामले के तथ्यों के संदर्भ में, लाफार्ज उमियम माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड बनाम भारत संघ ("लाफार्ज") मामले में इस अदालत ने मेघालय राज्य में चूना पत्थर खनन परियोजनाओं के संबंध में पूर्व कार्योत्तर मंजूरी देने के निर्णय को बरकरार रखा है। लाफार्ज में, अदालत ने इस सवाल पर विचार किया कि क्या परियोजना प्रस्तावक द्वारा भूमि की प्रकृति के कथित दमन से पूर्व कार्योत्तर मंजूरी दूषित हो गई थी और क्या वहाँ

मंजूरी देते समय एम. ओ. ई. एफ. द्वारा विवेक का उपयोग नहीं किया गया था। पूर्व कार्योत्तर मंजूरी को बरकरार रखते हुए, न्यायालय ने कहा कि मूल आदिवासी निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल थे और एमओईएफ ने परियोजना के पर्यावरणीय प्रभाव के बारे में रिपोर्टों के माध्यम से खुद को आश्वस्त करने के लिए एक उचित परिश्रम दृष्टिकोण अपनाया था। तीन न्यायाधीशों की पीठ की ओर से बोलते हुए मुख्य न्यायाधीश एस. एच. कपाड़िया ने कहाः

" 119. समय आ गया है कि हम योग्यता समीक्षा के विपरीत न्यायिक समीक्षा की प्रक्रिया के एक भाग के रूप में पर्यावरण से संबंधित मामलों में संवैधानिक "आनुपातिकता के सिद्धांत" को लागू करें। यह लाभप्रद नहीं कहा जा सकता है कि पर्यावरण और उसके प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग इस तरह से होना चाहिए जो सतत विकास और अंतर-पीढ़ीगत समानता के सिद्धांतों के अनुरूप हो, लेकिन इन इक्विटी के संतुलन के लिए नीतिगत विकल्प आवश्यक हो सकते हैं। परिस्थितियों में, अपवादों को छोड़कर, प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग से संबंधित निर्णयों का परीक्षण न्यायिक समीक्षा के अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त सिद्धांतों के आधार पर किया जाना चाहिए। सभी प्रासंगिक हैं

कारकों को ध्यान में रखा गया है? क्या किसी बाहरी कारक ने निर्णय को प्रभावित किया है? क्या निर्णय सख्ती से कानून (यदि कोई हो) के तहत विधायी नीति के अनुसार है जो क्षेत्र को नियंत्रित करता है? क्या निर्णय इस अर्थ में सतत विकास के सिद्धांतों के अनुरूप है कि निर्णय निर्माता ने उक्त सिद्धांत को ध्यान में रखा है और प्रासंगिक के आधार पर

विचार, एक संतुलित निर्णय पर पहुंचे? इस प्रकार, न्यायालय को निर्णय लेने की प्रक्रिया की समीक्षा करनी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि एम. ओ. ई. एफ. का निर्णय उचित और पूरी तरह से सूचित है।

29 (2005) 11 एस. सी. सी. 559

लिमिटेड। वी. रोहित प्रजापति

& ओआरएस। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

सिद्धांत, और किसी भी पूर्वाग्रह या संयम से मुक्त। एक बार यह सुनिश्चित हो जाने के बाद, तब के पक्ष में "प्रशंसा के मार्जिन" का सिद्धांत

निर्णय निर्माता अंतर्निर्मित होंगे। "

(जोर दिया गया)

37. लाफार्ज में निर्णय को स्वीकार करने के बाद, की एक और पीठ

इलेक्ट्रोथर्म (इंडिया) लिमिटेड बनाम पटेल विपुलकुमार रामजीभाई 3 1 मामले में इस न्यायालय के तीन विद्वान न्यायाधीशों ने इस मुद्दे पर विचार किया कि क्या अपीलार्थी को सार्वजनिक सुनवाई किए बिना विस्तार के लिए दिया गया निर्वाचन आयोग कानूनी रूप से वैध था। पीठ की ओर से बोलते हुए न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित ने इस प्रकार कहाः

" 19 ..... हटाने या देने में निर्णय लेने की प्रक्रिया

सार्वजनिक परामर्श/सार्वजनिक सुनवाई से छूट, आधारित नहीं थी

सही सिद्धांतों पर और इस तरह निर्णय अमान्य था और

अनुचित "।

न्यायालय ने ई. सी. देने के परिणाम पर निर्णय लेते हुए

सार्वजनिक सुनवाई के बिना अपीलार्थी की इकाई को बंद करने का निर्देश नहीं दिया गया और इसके बजाय इस प्रकार अभिनिर्धारित किया गयाः

दिनांक 27-1-2010 की पर्यावरण मंजूरी के अनुसरण में, परियोजना का विस्तार किया गया है और जैसा कि रिपोर्ट किया गया है

सी. पी. सी. बी. द्वारा की गई सिफारिशों का पालन किया जाता है। हमारे देश में विचार करने पर, न्याय के हित को कम किया जाएगा यदि वह

सार्वजनिक परामर्श/सार्वजनिक सुनवाई से छूट देने के निर्णय का हिस्सा

एक तरफ रख दिया जाता है और मामला अधिकारियों को वापस भेज दिया जाता है

सार्वजनिक परामर्श/सार्वजनिक सुनवाई को प्रभावी बनाने के लिए संबंधित।

हालाँकि, जब से विस्तार किया गया है और

उद्योग चल रहा है, हम इसे नहीं मानते हैं

निर्देशानुसार पूरे संयंत्र को बंद करने का आदेश देना उचित है।

उच्च न्यायालय द्वारा। यदि सार्वजनिक परामर्श/सार्वजनिक सुनवाई के परिणाम परियोजना के विस्तार के खिलाफ एक नकारात्मक जनादेश में,

अधिकारियों को निर्देश देना और इसे कम करना सुनिश्चित करना अच्छा होगा।

पर्यावरण मंजूरी द्वारा अनुमत स्तर तक की गतिविधियाँ

दिनांकित 20-2-2008। यदि सार्वजनिक परामर्श/सार्वजनिक सुनवाई में परिलक्षित होता है

परियोजना के विस्तार का पक्ष, पर्यावरण मंजूरी

दिनांकित 27-1-2010 अच्छा रहेगा और पूरी तरह से चालू होगा। अन्य में

शब्दों में, इस समय की लंबाई में जब विस्तार पहले से ही है

सार्वजनिक परामर्श की आवश्यकता की प्रकृति को बदलना / निर्णय से पहले से लेकर निर्णय के बाद तक सार्वजनिक सुनवाई। द.

सार्वजनिक परामर्श/सार्वजनिक सुनवाई का आयोजन

आज से तीन महीने के भीतर संबंधित अधिकारी।

(जोर दिया गया)

38. उपरोक्त निर्णयों से उत्पन्न होने वाले उपदेशों द्वारा निर्देशित,

इस न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान दिया है कि हालांकि 1994 की ई. आई. ए. अधिसूचना के बाद कई वर्षों तक तीनों उद्योग ई. सी. के बिना संचालित हुए, लेकिन उनमें से प्रत्येक को बाद में मौजूदा क्षमताओं के विस्तार के लिए संशोधित ई. सी. सहित ई. सी. प्राप्त हुए थे। ये ईसी हैं

लिमिटेड), 17 जुलाई 2003 (यूनाइटेड फॉस्फोरस लिमिटेड के मामले में), और 23 दिसंबर 2002 (यूनिक केमिकल्स लिमिटेड के मामले में)। में। इसके अलावा, तीनों इकाइयों ने बुनियादी ढांचे में निवेश किया है और अपनी औद्योगिक इकाइयों में बड़ी संख्या में श्रमिकों को नियुक्त किया है।

39. इस पृष्ठभूमि में, इस न्यायालय को एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाना चाहिए

जो उद्योगों को बंद करने का आदेश दिए बिना अतीत में पर्यावरण मंजूरी के बिना संचालित होने के लिए जिम्मेदार ठहराता है

संचालन। निर्वाचन आयोगों को निरस्त करने और इकाइयों को बंद करने के लिए एन. जी. टी. के निर्देश आनुपातिकता के सिद्धांत के अनुरूप नहीं हैं।

साथ ही, न्यायालय वैध ईसी के बिना संचालित होने वाली तीनों उद्योग इकाइयों के कारण होने वाले पर्यावरणीय क्षरण से अनजान नहीं हो सकता है। तीनों उद्योग कानूनी रूप से बाध्यकारी व्यवस्था से बच गए हैं

ई. सी. प्राप्त करना। वे इस तरह के गैर-अनुपालन के कारण होने वाले दायित्व से बच नहीं सकते हैं। बाध्यकारी कानूनी व्यवस्था की अवज्ञा के लिए दंड लगाया जाना चाहिए। उद्योगों द्वारा उल्लंघन को कानूनी परिणामों से अछूता नहीं छोड़ा जा सकता है। राशि का उपयोग किया जाना चाहिए

पर्यावरण की पुनर्स्थापना और पुनर्स्थापना का उद्देश्य। इसके बजाय और एनजीटी द्वारा जारी निर्देशों के स्थान पर, हमारा विचार है कि यह न्याय के हित में होगा कि तीनों उद्योगों को 10 करोड़ रुपये का मुआवजा जमा करने का निर्देश दिया जाए। यह राशि होगी

औद्योगिक क्षेत्र जिसमें उद्योग संचालित होते हैं। भले ही हम आए हैं निष्कर्ष, इंगित कारणों के लिए, कि ALEMBIC PHARMACEUTICALS के लिए निर्देश

लिमिटेड। वी. रोहित प्रजापति

& ओआरएस। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

ईसी को रद्द करने और उद्योगों को बंद करने की आवश्यकता नहीं थी, हमने एहतियाती सिद्धांत के अनुसार पर्यावरण के संरक्षण के एक पहलू के रूप में मुआवजे के भुगतान के लिए आदेश जारी किया है। ये निर्देश संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत जारी किए गए हैं। एलेम्बिक फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड, यूनाइटेड फॉस्फोरस लिमिटेड और यूनिक केमिकल्स लिमिटेड इस फैसले की प्रमाणित प्रति की प्राप्ति की तारीख से चार महीने की अवधि के भीतर जी. पी. सी. बी. के पास मुआवजे की राशि जमा करेगा। यह जमा राशि एनजीटी द्वारा निर्देशित राशि के अतिरिक्त होगी। उपरोक्त राशि जमा करने और इंगित कारणों के अधीन, हम अपीलों की अनुमति देते हैं और 8 जनवरी 2016 के एनजीटी के विवादित फैसले को दरकिनार कर देते हैं, जहां तक कि इसने ईसी को रद्द करने और उद्योगों को बंद करने के साथ-साथ 17 मई 2016 के समीक्षा आदेश का निर्देश दिया था।

लंबित आवेदन, यदि कोई हो, का निपटारा कर दिया जाएगा।

अ

पीलों की अनुमति दी गई।

दिव्या पांडे